


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 14, 2015/वैशाख 24, 1937

No. 160]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 14, 2015/VAISAKHA 24, 1937

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मई, 2015

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015

सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/10.—(अ)-पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ङ), खंड (ढ), खंड (ण), खंड (त) और खंड (ब) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

इन विनियमों का उद्देश्य एनपीएस आस्तियों की सुरक्षा और युक्तियुक्त जोखिम प्रबंधन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण और परिचालन के उच्च मानकों की स्थापना करने के लिए प्रतिभूति अभिरक्षक को मानीटर, पर्यवेक्षण करना और आंतरिक नियंत्रण की संरचना को मानकीकृत करना है।

2. परिभाषाएं—(1) इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- क. "अधिनियम" से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) अभिप्रेत है ;
- ख. 'खाता ' से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का अभिरक्षा खाता और अभिरक्षक द्वारा संधृत और अधिनियम के अनुच्छेद 12 के उप खंड 1 के खंड ख में उल्लेखित अन्य पेंशन स्कीम का खाता अभिप्रेत है।
- ग. 'कोई अन्य पेंशन योजना' अधिनियम के अनुच्छेद 12 के उप खंड 1 के खंड ख में उल्लेखित पेंशन योजना अभिप्रेत है।
- घ. 'आस्तियां' अधिनियम के अनुच्छेद 12 की उप-धारा के खंड (ख) में वर्णित और अभिदाताओं की ओर से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत धारित आस्तियां अभिप्रेत है;
- ड. 'अभिरक्षक सेवाएं' राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और किसी अन्य पेंशन स्कीम के अधीन आस्तियों और प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखना तथा उससे अनुषांगिक सेवाएं प्रदान करना अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित हैं:-
- (i) आस्तियों और प्रतिभूतियों के खातों को संधृत करना;
 - (ii) डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 (1996 का 22) के निबंधनों और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अनुज्ञात घरेलू निक्षेपागार के रूप में कार्य करना;
 - (iii) आस्तियों और प्रतिभूतियों पर उद्भूत हकदारी और लाभों का संग्रहण करना;
 - (iv) प्रतिभूतियों के निगमकर्ता द्वारा की गई या की जाने वाली कार्रवाई के बारे में संसूचित करना जो प्रोद्भूत होने वाले लाभों या हकदारी से संबंधित हो;
 - (v) उपखंड (i) से (iv) में संदर्भित सेवाओं के अभिलेखों को बनाये रखना और समाधान करना;
- च. 'प्रतिभूतियों का अभिरक्षक' प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन स्कीमों के लिए अभिरक्षक और निक्षेपागार प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 27 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त संस्था अभिप्रेत है;
- छ. 'प्रपत्र' अनुसूची 1 में निर्दिष्ट प्रपत्र अभिप्रेत है;
- ज. 'अनुसूची' इन विनियमों के साथ अनुलपित अनुसूची अभिप्रेत है;
- झ. 'प्रतिभूतियां ' का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूतियां अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिधान के लिए आज्ञा प्राप्त लिखतों में अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वे वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः उनका अधिनियम में है।

अध्याय 2

अभिरक्षक का पंजीकरण

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र.—(1) प्राधिकरण किसी संस्था को प्रतिभूतियों के अभिरक्षक रूप में पंजीकृत करेगा और पंजीकरण का प्रमाण पत्र अनुदत्त करेगा ।

(2) प्राधिकरण यदि अभिदाताओं के हित में आवश्यक समझे तो वह एक या अधिक प्रतिभूतियों के अभिरक्षक का चयन कर सकता है।

- (3) कोई भी प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा किसी अन्य पेंशन योजना के संबंधित किसी भी कार्य की शुरुआत नहीं करेगा सिवाय कि उसे प्राधिकरण द्वारा अधिनियम, नियमों और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं किया जाता।
- (4) ऐसा प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, जिसे अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के ठीक पूर्व अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा उस रूप में कृत्य करने की अनुज्ञा प्रदान की गई थी, इन विनियमों के अधिसूचित किए जाने से नब्बे दिन की अवधि तक या यदि वह इन विनियमों को अधिसूचित किए जाने के नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण दिए जाने का आवेदन करता है तो वह विनियम 15 में यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा उसको आवेदन का निपटारा किए जाने तक, उस रूप में कृत्य करना जारी रख सकेगा।
- (5) जहां विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक उप विनियम 3 में यथाविनिर्दिष्ट कालअवधि के भीतर पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है अथवा इन विनियमों के अनुपालन में असफल रहता है। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने से प्रविरत होगा और प्राधिकरण के निदेशानुसार अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों, दस्तावेजों और प्रतिभूतियों को अंतरित करेगा।

4. **रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने के लिए आवेदन और आवेदन फीस .—**(1) प्राधिकरण जब वह उचित समझे, एक या अधिक प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के चयन के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा

- (2) चयन प्रक्रिया की सूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित होने की तिथि से, वे संस्थाएं जो विनियम 8 में निर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंडों को पूरा करती हैं और प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने की इच्छुक हैं अनुसूची 2 के भाग (क) में विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस के साथ भाग (ख) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में आवेदन कर सकती हैं।

5. **आवेदक द्वारा अपेक्षाओं की पूर्ति.—**(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने वाले किसी ऐसे आवेदन को निम्न आधारों पर नामंजूर किया जा सकेगा अर्थातः—(क) जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है तथा इस विनियमों में विनिर्दिष्ट सुसंगत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है ;

- (ख) जिसमें प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित अतिरिक्त जानकारी नहीं है ;
- (ग) जो अशुद्ध, मिथ्या या भ्रामक प्रकृति का है ;
- (घ) जहां आवेदक ने इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट पात्रता की न्यूनतम अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है ;
- (ङ) जो प्राधिकरण की राय में अभिदाताओं के हित में नहीं है या पेंशन सेक्टर तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के क्रमिक विकास के उद्देश्यपरक हत अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के हित में नहीं है ;

(2) उप विनियम 1 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आधारों के आधार पर आवेदन नामंजूर किए जाने के पूर्व, आवेदक को उन कमियों को, जिन्हें दूर किया जा सकता है, तत्प्रयोजनार्थ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर दूर करने के लिए लिखित में अवसर दिया जाएगा :

परंतु जहां आवेदन इस कारण से नामंजूर किया जाता है कि इसमें मिथ्या या भ्रामक जानकारी अंतर्विष्ट है, वहां ऐसा अवसर प्रदान नहीं किया जा सकेगा और आवेदक इन विनियमों के अधीन या किन्हीं अन्य विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किए जाने के लिए ऐसी नामंजूरी की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक कोई आवेदन नहीं करेगा ।

6. **सूचना और स्पष्टीकरण का दिया जाना—**(1) प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटारे के प्रयोजन के लिए कोई अतिरिक्त सूचना या स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर सकेगा और तत्पश्चात्, ऐसे किसी अन्य विषय के बारे में, जो प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझा जाए, (2) आवेदक ऐसी सूचना और स्पष्टीकरण, प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में प्राधिकरण द्वारा इस बारे में विनिर्दिष्ट समय के भीतर देगा ।

7. सूचना का सत्यापन—(1) आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन, दी गई सूचना और उसकी पात्रता पर विचार करते समय, प्राधिकरण, यदि वह ऐसी वांछा करे, दस्तावेजों, कार्यालय स्थल का भौतिक सत्यापन कराकर सूचना को सत्यापित कर सकेगा और कार्यालय स्थल की उपलब्धता, अवसंरचना और तकनीकी अवलंब, जिसका आवेदक के पास होना अपेक्षित है, का निरीक्षण कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को, जिसके अंतर्गत उसका कोई अधिकारी या कोई बाहरी संपरीक्षक भी है, नियुक्त कर सकेगा।

8. पात्रता मानदण्ड .—(i) पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के प्रयोजनार्थ निम्न न्यूनतम पात्रता मानदण्डों का समाधान करता कोई आवेदक पंजीकरण प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है:-

- क. आवेदक आवेदन की तिथि को पिछले पांच वर्ष से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पास प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में पंजीकृत हो।
- ख. किसी भी पेंशन निधि अथवा उसके प्रायोजक, न्यासी बैंक अथवा केन्द्रीय अभिलेखापाल अभिकरण का एक दूसरे में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निवेश प्रतिभूतियों के अभिरक्षक में **50** प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
- ग. आवेदन की तिथि को आवेदक के कब्जे की आस्तियां पिछले वित्तीय वर्ष के **31** मार्च को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के प्रबंधन के अंतर्गत कुल आस्तियों के समान होनी चाहिए।

(2) पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किये जाने के प्रयोजनार्थ प्राधिकरण उन सभी विषयों को ध्यान में रखेगा, जो वह पेंशन सेक्टर और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा किसी अन्य पेंशन योजना से सुसंगत समझे जिसके अंतर्गत निम्नलिखित है, किंतु जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं है।क्या -

- क. आवेदक के पास आवश्यक अवसंचरना, जिसमें पर्याप्त कार्यालय स्थल, अपेक्षित सूचना तकनीक और प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक सूचना सुरक्षा प्रणालियों के साथ अंतर्निहित लचीलापन और प्रवर्धित योग्यता है।
- ख. आवेदक के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा किसी अन्य पेंशन योजना की गतिविधियों को अन्य अभिरक्षक ग्राहकों से पृथक करने और फायरफाल बनाये रखने की क्षमता है।
- ग. आवेदक के पास राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा अन्य पेंशन योजना के संदर्भ में अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करने के संबंध में किसी अन्य लागू विधि के अंतर्गत अपेक्षित अनुमोदन अभिप्राप्त है।
- घ. आवेदक के पास पर्याप्त कर्मचारीवृन्द और सक्षम व्यक्ति जिनके पास प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के कारबार के प्रबंधन की योग्यता,सामर्थ्य और अनुभव है।
- ड. आवेदक ने एक पूर्ण नियमावली और अपने कार्यकलापों के निष्पादन के प्रभावी और सक्षम निर्वहन के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निर्माण कर लिया है और अन्य कारबारों के साथ पर्याप्त संबंध बनाये हुए हैं यदि कोई हो।
- च. आवेदक अथवा उसके किसी संबद्ध संस्था को किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक जैसे -भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड , बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण और प्राधिकरण द्वारा भारत में ऐसे आधारों पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने या नवीनीकरण के लिए इंकार किया गया है, यदि कोई हो।

छ. आवेदक पर खंड (च) में उल्लेखित किसी वित्तीय विनियामक अथवा न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा पिछले पांच वर्षों में विनियामक के विनियमों, निदेशों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और परिपत्रों के उल्लंघन के संबंध में शास्ति का अधिरोपण किया गया है यदि ऐसा है तो ऐसे नामंजूरी के लिए आधार पर:

ज. आवेदक अनुसूची 3 में वर्णित 'उपयुक्त और उचित संस्था' है अथवा नहीं है

(झ) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाना अभिदाताओं के हित में है।

3. उप विनियम 2 और उपविनियम 1 में शामिल विषयों के होते हुए भी यदि आवेदक एक कारपोरेट इकाई नहीं है तो इन विनियमों के अधीन किये गये किसी आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

9. कतिपय मामलों में पात्रता मानदंड से छूट.—(1) प्रत्येक आवेदक को विनियम 8 के उप विनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है।

(2) यदि कोई संस्था विनियम 8 के उप विनियम (2) में निर्दिष्ट कुछ अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता तो वह प्राधिकरण को आवेदन करके पात्रता मानदंडों को पूरा करने से छूट देने की ईप्सा करते हुए अनुरोध कर सकेगा।

(3) उप - विनियम (2) में ऐसा कुछ भी निहित नहीं है जो आवेदक को छूट का दावा करने का हक प्रदान नहीं करता।

(4) यदि प्राधिकरण की राय में, आवेदक द्वारा किसी पात्रता मानदंड के पूरा न किए जाने से और जिसके लिए शिथिलीकरण की अपेक्षा की गई है, अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसे मानदंड से छूट प्रदान कर सकेगा। प्राधिकरण, ऐसी परिस्थितियों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

10. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने की प्रक्रिया और रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय.—(1) विनियम 4 के अंतर्गत प्राधिकरण के आमंत्रण के प्रति उत्तर में प्राप्त किसी आवेदन का मूल्यांकन इन विनियमों और आवेदन आमंत्रित करते समय विनिर्दिष्ट चयन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) सर्वोत्तम मूल्य प्रस्ताव को विनियम 16 के अंतर्गत निर्धारित आस्ति सेवा शुल्क अभिप्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।

(3) प्राधिकरण की ओर से उप विनियम (2) के अंतर्गत संसूचना प्राप्त होने पर आवेदक अनुसूची 2 के भाग क में विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय पंजीकरण फीस का संदाय प्राधिकरण को भाग ख में विनिर्दिष्ट रीति में करेगा।

(4) आवेदक की ओर से पंजीकरण फीस प्राप्त होने पर प्राधिकरण प्रपत्र 'क' में विनिर्दिष्ट नियम व निबंधनों के अनुरूप पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त कर सकता है।

(5) कोई भी विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक चयन प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त करने के लिए किसी प्रकार की वरीयता अथवा विशेषाधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

11. पंजीकरण के नियम व शर्तें.—आवेदक अथवा प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अनुदत्त किया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:—

क. वह अनुसूची 2 के भाग क में निर्दिष्ट पंजीकरण फीस और वार्षिक फीस का संदाय भाग ख में निर्दिष्ट रीति में करेगा।

ख. वह प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत धारित सभी प्रतिभूतियों को अभिरक्षक और निक्षेपागार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

ग. वह प्राधिकरण द्वारा सभी समय पर विनिर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करेगा और उनका अनुपालन करेगा।

- घ. पंजीकरण से संबंधित तथा पंजीकरण के पश्चात एक प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में उसके सभी प्रतिनिधित्व, जमानत, सूचना प्रकटीकरण, रिपोर्ट, दस्तावेज, और विवरण सत्य, पूर्ण, सही और सभी प्रकार से ठीक है और किसी वस्तुगत तथ्य के संबंध में कोई असत्य विवरण या लोप न हो और रजिस्ट्रीकरण के समय पूर्व में जमा कराये गये विवरणों और सूचनाओं में किसी भी प्रकार के वस्तुगत परिवर्तन की सूचना प्राधिकरण को देगा।
- ड. उसने प्राधिकरण द्वारा विनियमित आस्तियों के अभिरक्षक के रूप में पंजीकरण अंगीकार करने के सभी आवश्यक सोपानों और कार्यों को पूरा कर लिया है और इसके उत्तरदयित्वों के सम्यक प्रदर्शन के लिए अपने आप को आवद्ध कर करता है और इसके अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।
- च. वह प्राधिकरण द्वारा निर्देशित अथवा इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट पक्षों के साथ ऐसा समझौता करेगा और किये गये समझौतों की शर्तों का अनुपालन करेगा।
- छ. अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान अभिप्राप्त सभी संव्यवहार सूचनाओं, डाटा, अभिलेखों की बाबत गोपनीयता बनाये रखेगा और प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी सूचना या डाटा को साक्ष्य के रूप में अथवा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सिवाय ऐसा किया जाना कानून के अंतर्गत आवश्यक न हो, प्रस्तुत या साझा नहीं करेगा।
- ज. वह अधिनियम, विनियमों, स्पष्टीकरणों अथवा निदेशों जो प्राधिकरण द्वारा जारी किये जाये, से आवद्ध करेगा।
- झ. वह प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा ऐसी अन्य मध्यवर्तियों को जो प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये अथवा जैसा करारों में विनिर्दिष्ट हो विवरण जमा कराएगा।
- त. वह अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट 'आचार संहिता' का अनुपालन करेगा और वह प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य संस्था को अभिरक्षक के रूप में अपने कार्य के किसी अंश को करने के लिए समनुदेशित अथवा प्रत्यायोजित नहीं करेगा।

12. **मध्यवर्तियों के साथ प्रलेखीकरण.**—कारबार की शुरुआत से पूर्व, प्रतिभूतियों का अभिरक्षक निम्न करार करेगा:—

- क. पेंशन निधि और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ त्रिपक्षीय करार
- ख. प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के अभिरक्षक के रूप में प्रभावी और अनुशासित गतिविधियों के लिए अपेक्षित अन्य समझौता जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किये जाये।
- ग. उपरोक्त उल्लेखित करारों के अतिरिक्त, प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अन्य खंड विनियामकों अथवा किसी अन्य प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमतियां अभिप्राप्त करेगा और यह मध्यवर्तियों, डिपोजिटरियों, समाशोधन गृह, समाशोधन केन्द्रों की खातों को खोलने, प्राधिकृत हस्ताक्षरियों, डिजिटल हस्ताक्षर अभिप्राप्त करने, संयोजकता उपलब्ध कराने और साफ्टवेयर की अधिष्ठापन संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।

13. **कारबार की शुरुआत.**—प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा प्रलेखीकरण के अनुपालन किये जाने पर और अपने कार्यों से संबंधित औपचारिकताओं के लिए उद्घोषणाओं जिसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण से 'कारबार की शुरुआत का प्रमाण पत्र' अनुदत्त किये जाने की अभिइच्छा करेगा।

(2) प्राधिकरण यह संतुष्टि होने पर कि प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से समर्थ है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य पेंशन योजनाओं के लिए अनुसूची 1 में यथानिर्धारित प्रपत्रख से प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को 'कारबार की शुरुआत का प्रमाण पत्र' जारी कर सकेगा जिसके पश्चात प्रतिभूतियों का अभिरक्षक उल्लेखित कार्यों और गतिविधियों की शुरुआत कर सकता है।

14. **विधिमान्यता की अवधि.**—(i) इन विनियमों के अधीन रहते हुए प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अनुदत्त प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य बना रहेगा।

(2) प्राधिकरण, ऐसी अवधि के लिए, जो वह अभिदाताओं के हित में अवधारित करे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की अवधि को बढ़ा या कम कर सकेगा। ऐसा विस्तार या कम किया जाना लेखबद्ध रूप से अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से किया जाएगा। रजिस्ट्रीकरण की अवधि की समाप्ति पर प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को दिया गया कोई विस्तारण प्रतिभूतियों के अभिरक्षक पर आबद्धकर होगा और प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ऐसे विस्तारण के निबंधनों के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(3) उप-विनियम (1) और उप-विनियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के दौरान प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का वार्षिक रूप से या किसी अन्य अवधि या किसी ऐसे समय पर, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, पुनर्विलोकन किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा उसके पश्चात् प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में उसकी निरन्तरता विनिश्चित की जाएगी।

(4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक विस्तारित अवधि के लिए यथानुपात में अनुसूची 2 के भाग क में विनिर्दिष्ट वार्षिक फीस का संदाय भाग ख में निर्दिष्ट रीति में करने का दायी होगा।

15. अंतरिम पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त विद्यमान प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रजिस्ट्रीकरण के लिए अस्थायी प्रावधान:

(1) ऐसा प्रतिभूतियों का अभिरक्षक इन विनियमों की अधिसूचना से नब्बे दिन की अवधि के भीतर प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य जारी रखने का आवेदन करेगा और ऐसे आवेदन के साथ निम्न भी शामिल होंगे-

क. रजिस्ट्रीकरण का मूल प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र

ख. एक उदघोषणा पत्र जिसमें इन विनियमों के निर्दिष्ट सभी पात्रता मानदंडों को समाहित करता हुआ आवेदक के प्रारंभिक अधिकारी का लिखित दस्तावेज हो।

ग. अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट फीस

घ. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के प्रक्रमण के दौरान प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) प्राधिकरण द्वारा यह समाधान होने पर कि विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक इन विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है और ऐसे विद्यमान मध्यवर्ती को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करना अभिदाताओं के हित में है केवल एक वर्ष के लिए अथवा चयन प्रक्रिया के अनुसार नये प्रतिभूतियों के अभिरक्षक का चुनाव होने होने तक, जो भी पहले हो, पंजीकृत अथवा पुनः पंजीकृत करेगा।

(3) कोई भी विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक इन विनियमों के तहत होने वाली चयन प्रक्रिया के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किये जाने के लिए किसी भी प्रकार की अग्रता अथवा विशेषाधिकार का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

16. **आस्ति सेवा शुल्क.**—(1) प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत धारित आस्तियों पर प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा लिये जाना वाला शुल्क प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लिया जाएगा।

(2) आस्ति सेवा शुल्क की गणना प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित आस्तियों के शेयर पत्रों के खरीद मूल्य और ऋण पत्रों के अंकित मूल्य के दैनिक अंत अतिशेष के अधार की जाएगी।

17. **वार्षिक फीस.**—प्रत्येक प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक फीस का संदाय पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी होने के पन्द्रह दिन के भीतर अथवा 15 अप्रैल से पहले प्राधिकरण को करेगा।

अध्याय 3

अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी

18. **आचार संहिता.**—प्रत्येक प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अनुसूची 4 में यथा विनिर्दिष्ट आचार संहिता का अनुपालन करेगा।

19. **प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के सामान्य उत्तरदायित्व.**—(1) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अपने कर्तव्यों के निर्वहन के समय अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में सभी समय पर उचित सावधानी, विवेक, व्यवसायिक कुशलता और सम्यक तत्परता बरतेगा।

(2) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अन्य मध्यवर्तियों और संस्थाओं के साथ संयोजन करने में उसे समर्थ बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं, प्रणालियों, पर्याप्त सूचना तकनीक अवसंरचना उपलब्ध कराएगा और भविष्य में होने वाले परिवर्तनों जिनमें तकनीक उन्नति में परिवर्तन, प्रणाली और सेवाओं के विनिर्देशन में परिवर्तन और प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कार्य संबंधी दायित्वों की उद्घोषणा में परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तित होगा।

(3) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतेगा कि अभिलेखों की निरंतरता लुप्त या नष्ट न हो और इसके लिए अभिलेखों का पर्याप्त बैकअप उपलब्ध हो।

(4) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर पेंशन योजना खातों में संव्यवहार का स्तर पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार हो और इन खातों में धारित आस्तियों का इस्तेमाल स्पष्टतया केवल पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अधिकृत संव्यवहार के लिए किया गया है।

(5) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समय पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से धारित प्रतिभूतियों को उसके खातों में उसकी अपनी धारिताओं, अन्य ग्राहकों के खातों से स्पष्टतया पृथक और अलग रखा गया है और अन्य गतिविधियों से पृथक हैं। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के निर्दिष्ट रीति के अनुसार एक पृथक अनुरक्षित खाता खोलेगा।

(6) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा पेंशन योजनाओं के लिए उसकी अनुरक्षा में धारित प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार और हकदारी प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा विनिर्दिष्ट रीति और समय पर प्राप्त हो।

(7) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों में व्यक्तिगत धारित राशि दिन की समाप्ति पर निक्षेपागार धारित राशियों और ग्राहक सहायक सामान्य खाता बही के साथ समाधानकृत हो।

(8) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक पेंशन योजना खातों के अंदर और बाहर की प्रतिभूतियों की गतिविधियों के लिए निरंतर उत्तरदायी होगा और जब कभी भी प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा कहा जाये पूर्ण संपरीक्षा प्रक्रिया उपलब्ध कराएगा।

(9) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक उसकी अभिरक्षा में धारित प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और इस रीति में उनका अनुरक्षण करेगा कि किसी कारण से मूल अभिलेखों के लुप्त होने पर प्रतिभूतियों के अनुरेखण अथवा दस्तावेजों के प्रतिरूप की सुविधा उपलब्ध हो।

(10) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अथवा प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी अन्य पेंशन योजना के अंतर्गत उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों पर्याप्त रूप से सुरक्षित है।

(11) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास अभिलेखों और दस्तावेजों में जिनमें प्रतिभूतियों की संपरीक्षा, अधिकार अथवा इस करार के अधीन धारित आस्तियों पर हकदारी शामिल हैं किसी प्रकार के हेरफेर से रक्षा के लिए पर्याप्त आंतरिक

नियंत्रण होगा। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास ऐसी प्रतिभूतियों (आस्तियों और दस्तावेजों) को चोरी और प्राकृतिक आपदा से बचाव सुनिश्चित करता हुआ पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं।

(12) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन खातों में उपलब्ध आस्तियों का निपटान करने का हकदार नहीं होगा अथवा पेंशन निधि अथवा अन्य प्रकार से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से उस पर देय राशियों के अंशतः और पूर्णतः समाधान के लिए उनके साथ समझौता बिना प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की पूर्व लिखित अनुमति के नहीं करेगा।

(13) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्रतिभूतियों पर ऋणभार नहीं लगाएगा जिनमें गिरवी रखने, उप्राधीयन अथवा किसी प्रकार के प्रभार का निर्माण शामिल है अथवा उक्त प्रतिभूति पर उसका दावा नहीं करेगा। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक बिना प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की अनुमति के किसी प्रकार से प्रतिभूतियों को परिवर्तित नहीं करेगा।

(14) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टों और विवरणों को पेंशन निधि अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा प्राधिकरण अथवा अन्य मध्यवर्तियों को प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट अथवा समझौते में विनिर्दिष्ट अंतरालों पर तथा ऐसी रीति में प्रेषित करेगा।

(15) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक खाता बहियों, पुस्तकों, अभिलेखों और दस्तावेजों का समुचित निर्माण करेगा और उसके पास अपने नियंत्रण, प्रणालियों, प्रक्रियाओं तथा रक्षोपायों के पुनर्विलेखन, निरीक्षण और मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त तंत्र होगा।

(16) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक आंतरिक संपरीक्षक के द्वारा तिमाही आधार पर लेखा बहियों की संपरीक्षा कराएगा और आस्तियों अथवा पेंशन निधियों के कारबार से संबंधित उसके निष्कर्ष को प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को यथाविनिर्दिष्ट संपरीक्षा की तिथि से तीस दिन के अपश्चात जमा कराएगा।

(17) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तावित सेवाओं और विभिन्न क्रियाकलापों के लिए किसी भी विनियामक, प्राधिकरण, समाशोधन निकाय, विनिमय अथवा निक्षेपागार द्वारा लागू सभी नियमों, विनियमों, परिपत्रों अथवा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेगा।

20. मानीटर, पुनर्विलोकन, मूल्यांकन प्रणाली और नियंत्रण.—1. प्रत्येक प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास अपने नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करने मानीटर करने और उनका मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त तंत्र होना चाहिए

2. प्रतिभूतियों का अभिरक्षक किसी अभिरक्षक द्वारा उपखंड 1 में निर्दिष्ट तंत्र के अधीन वार्षिक या कालिक निरीक्षण रिपोर्ट प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को निरीक्षण की तारीख से तीस दिन के भीतर अग्रेषित करेगा।

3. प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के परिचालन के निरीक्षण, पुनर्विलोकन और मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास नोडल अभिरक्षण होगा।

21. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति - (1) प्रत्येक प्रतिभूतियों का अभिरक्षक एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो अधिनियम, नियमों और विनियमों के उपबंधों, प्राधिकरण द्वारा अभिदाता की शिकायतों के निवारण के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं, मार्गदर्शक सिद्धांतों, अनुदेशों का उसके द्वारा पालन किए जाने को मानीटर करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी, ऐसे किसी अनुपालन की, जो उसके देखने में आई है, प्राधिकरण को तत्काल और निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट करेगा।

अध्याय —4**निरीक्षण और संपरीक्षा**

22. **निरीक्षण और संपरीक्षा** – (1) प्राधिकरण, यदि वह आवश्यक समझे, किसी समय प्रत्यक्ष रूप से या अपने किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किसी प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत इस विनियम के अधीन यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजन भी हैं, की लेखा बहियों, अभिलेख, जिसके अंतर्गत टेलीफोन और इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं और दस्तावेजों का निरीक्षण और संपरीक्षा कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत निम्नलिखित भी हो सकेंगे,—

- (क) अवसंचनात्मक योग्यताओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अभिनिश्चित करना।
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियां, अभिलेख, जिनके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख भी हैं, और दस्तावेजों को इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में बनाए रखा जा रहा है;
- (ग) यह सुनिश्चित करना कि प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में उसे सौंपे गये क्रियाकलापों के संबंध में उसके द्वारा किये गये कार्य अभिदाताओं के हित में हो;
- (घ) यह अभिनिश्चित करना कि अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों या जारी किए गए परिपत्रों, मार्गदर्शक सिद्धांतों या अधिसूचनाओं का पालन किया जा रहा है;
- (ङ.) पेंशन निधि और अन्य मध्यवर्तियों या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे किसी विषय पर, जो प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूतियों के अभिरक्षक को सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित है, प्राप्त दस्तावेजों की जांच किया जाना;
- (च) ऐसे विषयों में, जो अभिदाताओं के हित में उचित समझे जाएं, स्वतः-संज्ञान से जांच किया जाना।

(3) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण या संपरीक्षा कराने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है या किसी अन्य अर्हक संपरीक्षक को नियुक्त कर सकता है।

स्पष्टीकरण—इस उपविनियम के प्रयोजनों के लिए, 'अर्हक संपरीक्षक' का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956)का 1) की धारा 226 में उसका है

23. **निरीक्षण और संपरीक्षा के पूर्व सूचना** – (1) विनियम 22के अधीन कोई निरीक्षण या संपरीक्षा करने के पूर्व प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या संपरीक्षक **प्रतिभूतियों का अभिरक्षक** को दस कार्य दिवस की सूचना देगा :

परंतु यदि प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाताओं के हितों की तत्काल रक्षा के लिए निरीक्षण या संपरीक्षा आवश्यक है तो किसी सूचना की अपेक्षा नहीं होगी।

(2) निरीक्षण या संपरीक्षा के दौरान, **प्रतिभूतियों का अभिरक्षक**, जिसके विरुद्ध निरीक्षण या संपरीक्षा की जा रही है, इन विनियमों के अधीन यथा उपबंधित बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए आवद्धकर होगा।

24. **निरीक्षण और संपरीक्षा पर बाध्यता** – (1) ऐसे **प्रतिभूतियों का अभिरक्षक** का, जिसके कार्यों का निरीक्षण या संपरीक्षा की जा रही है, और उसके प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण की पुस्तकों, लेखाओं और अन्य दस्तावेजों को, ऐसी युक्तियुक्त अवधि के भीतर, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत करे और प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित ऐसे विवरण और सूचना, जो अपेक्षित हो, दे।

(2) **प्रतिभूतियों का अभिरक्षक** प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा **प्रतिभूतियों का अभिरक्षक** या किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तोवजों और कम्प्यूटर डाटा की परीक्षा करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की राय में सुसंगत हों, निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए उपलब्ध कराएगा।

(3) **प्रतिभूतियों का अभिरक्षक** का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को या संपरीक्षक को निरीक्षण या संपरीक्षा के संबंध में ऐसी सभी सहायता प्रदान करे जिसकी प्राधिकरण या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा करे।

25. **रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना.**—(1) निरीक्षण या संपरीक्षा पूरी होने पर, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसे वह अभिदाताओं के हित में और उचित समझे।

(2) प्राधिकरण, यथास्थिति, स्वतः-संज्ञान से या निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् मामले में अन्वेषण या जांच करने का आदेश दे सकेगा।

26. **निरीक्षण या संपरीक्षा फीस का संदाय.**—प्राधिकरण, प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से किए गए निरीक्षण या संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा उपगत ऐसे व्यय प्रतिभूतियों का अभिरक्षक से वसूल करने का हकदार होगा।

27. **राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निरीक्षण और संपरीक्षा.**—राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास प्रचालन सेवा स्तरीय करारों के संबंध में प्रत्यक्ष रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से **प्रतिभूतियों का अभिरक्षक** के निरीक्षण या संपरीक्षा का या दोनों का कार्य प्रतिवर्ष आधार पर या ऐसी अवधि पर, जो प्राधिकरण द्वारा विहित की जाए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 के उपबंधों के अनुसार अपने हाथ में लेगा। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को उस परिसर तक, जो उसके अधिभोग में है, लेखा बहियों, अभिलेखों तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और यथास्थिति, ऐसे निरीक्षण अथवा संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए ऐसी आवश्यक जानकारी, जिसकी उसके द्वारा अपेक्षा की जाए, उपलब्ध कराएगा।

अध्याय – 5

प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण और व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई

28. **रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन.**—(1) प्राधिकरण द्वारा प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र इन बातों के अध्ययधीन निलंबन, रद्दकरण अथवा प्रत्याहृत होगा यदि –

- क. विद्यमान प्रतिभूतियों का अभिरक्षक कालवधि के अवसान पर नवीन प्रमाण प्राप्त करने अथवा आवेदन करने में विफल रहता है।
- ख. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों और नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का या जारी किए गए किन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों/अधिसूचनाओं/निदेशों/अनुदेशों या परिपत्रों का उल्लंघन करता है;
- ग. अनुचित व्यापारिक व्यवसाय में आलिप्त रहता है या अपना कारबार ऐसी रीति में करता है जो अभिदाताओं के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो;
- घ. अधिनियम या प्राधिकरण द्वारा यथा अपेक्षित कालिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता है;

- च. कारबार करने से प्रविरत होने अथवा परिशोधन करने (प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित पूर्व निबंधनों पर पुर्नगठन अथवा समिश्रण के उद्देश्य के अतिरिक्त) अथवा एक प्राप्तकर्ता, प्रबंधक, प्रशासक अथवा आस्तियों और प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की घोषणाओं के संदर्भ में समरूप व्यक्ति की नियुक्ति की गई है।
- छ. प्राधिकरण की राय में प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने में कपटी, अधम कदाचारों में लिप्त रहा है अथवा किसी विनियामक द्वारा ब्लैक सूची में सूचीबद्ध किया गया है अथवा प्राधिकरण को असत्य विवरण अथवा सूचना जमा कराई है जिसका प्राधिकरण अथवा अभिदाताओं के अधिकारों, दायित्वों और हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो।
- ज. कोई अन्य कारण जो प्राधिकरण की राय में अनुदत्त प्रमाण पत्र निलंबन, रद्दकरण अथवा अभ्यर्पित करने के लिए न्यायसंगत हो।

(2) प्राधिकरण, वह लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अभिदाताओं के हितों के लाभार्थ उप विनियम (1) के अधीन शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने, निलम्बित करने अथवा प्रत्याहृत करने के स्थान पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण की शर्तों व निबंधनों में वृद्धि अथवा कमी करने अथवा रूपांतरित करने का निदेश दे सकता अथवा कोई आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

(3) एक बार रजिस्ट्रीकृत होने पर प्रतिभूतियों का अभिरक्षकको यह सुनिश्चित करना होगा कि इन विनियमों में यथा वर्णित पात्रता की शर्तों का रजिस्ट्रीकरण अवधि और उसके विस्तार की अवधि की संपूर्ण प्रवर्तनावधि के दौरान सर्वथा पालन किया जाए, प्राधिकरण को पात्रता की शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाला प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं के बंद होने के तीस दिन के भीतर दिया जाएगा।

29. किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण.—(1) कोई ऐसा प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, जिसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया है, जो अपने कार्यकलाप छोड़ना चाहता है और प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करना चाहता है, प्राधिकरण से ऐसे अभ्यर्पण का अनुरोध कर सकेगा।

(2) इन विनियमों के अधीन ऐसे अनुरोध का निस्तारण करते समय प्राधिकरण, संबंधित प्रतिभूतियों का अभिरक्षकसे प्राधिकरण का ऐसे कारकों पर, जो वह ठीक समझे, समाधान करने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित कारक भी सम्मिलित हैं, किन्तु ये निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं--

- (क) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक द्वारा उसके स्वयं के खर्चों और व्यय पर सुसंगत अधिनियम, विनियमों] मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अंतर्गत और अन्य दस्तावेजों के अनुरक्षण और परिरक्षण के लिए की गई व्यवस्था ;
- (ख) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम 2015 के अनुसार अभिदाता की शिकायतों का निवारण;
- (ग) अभिदाताओं के अभिलेखों, निधियों या प्रतिभूतियों की उनके स्वयं के खर्चों और व्यय पर अंतरण ;
- (घ) अभिदाताओं की सतत् सेवा सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा की गई व्यवस्था ;
- (ङ) व्यतिक्रम या लंबित कार्रवाइयां, यदि कोई हों।

(3) अभ्यर्पण संबंधी अनुरोध स्वीकार करते समय प्राधिकरण प्रतिभूतियों का अभिरक्षक पर ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के हित के संरक्षण के लिए उचित समझे और संबंधित प्रतिभूतियों का अभिरक्षक ऐसी शर्तों का पालन करेगा।

30. प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण का प्रभाव.—(1) ऐसा कोई प्रतिभूतियों का अभिरक्षक जिसने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने पर ने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन नहीं किया हो अथवा उसे

प्राप्त करने में विफल रहा हो अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रमाणपत्र रद्द, निलंबित और अभ्यर्पित होगा और प्रतिभूतियों का अभिरक्षक इस रूप में कार्य करने से प्रविरत होगा ।

- (2) प्रमाणपत्र के निलंबन, रद्दकरण या अभ्यर्पण की तारीख से ही संबंधित प्रतिभूतियों का अभिरक्षक .
- (क) ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी रीति में, जो सुसंगत विनियमों के अधीन अपेक्षित हो या जो प्राधिकरण द्वारा, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन या उससे अन्यथा, आदेश पारित करते समय, ऐसी अन्य कार्रवाई करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे अभिदाताओं के किन्हीं अभिलेखों या दस्तावेजों तथा ऐसी सूचना के संबंध में कार्रवाई भी है जो ऐसे प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की अभिरक्षा या नियंत्रण में है ;
- (ख) अभिदाताओं से कोई अतिरिक्त सुपुर्दगी नहीं लेगा या कोई नई रकम या सूचना संगृहीत नहीं करेगा । ऐसे निलंबन की अवधि के दौरान वह ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेगा जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था ;
- (ग) अपने अभिदाताओं को, यथास्थिति, उनकी रकम या सुपुर्दगियों के अंतरण करने की अनुज्ञा देगा अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को, किसी अतिरिक्त खर्चे के बगैर, उसे दी गई किसी सुपुर्दगी को वापस करने की अनुज्ञा देगा ;
- (घ) प्राधिकरण के निदेश तक ऐसे सभी अंतरण अथवा कार्रवाई के पूरे होने तक अथवा समयावधि तक प्राधिकरण के निदेशों का पालन करेगा ;

31. अभिहित प्राधिकारी की नियुक्ति.—(1) जहां अभिहित प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि प्रतिभूतियों के अभिरक्षक ने, जिसे इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति ने विनियम 28 में विनिर्दिष्ट प्रकृति की कोई चूक की है वहां वह मुख्य महाप्रबंधक की श्रेणी के किसी अधिकारी को या किसी समतुल्य श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा ।

(2) किसी ऐसे अधिकारी की, जिसने अभिकथित अतिक्रमण की बाबत अन्वेषण या निरीक्षण किया है, अभिहित प्राधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं की जाएगी ।

32. सूचना का जारी किया जाना.—(1) अभिहित प्राधिकारी, यदि उसे ऐसे युक्तियुक्त आधारों का पता चलता है तो वह, प्रतिभूतियों के अभिरक्षक या किसी संबंधित व्यक्ति को, उससे यह दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि क्यों न उसे प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द कर दिया जाए या क्यों न उसमें उपबंधित कोई अन्य कार्रवाई की जाए, एक सूचना जारी करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना में, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अतिक्रमण को, अधिनियम, विनियमों, निदेशों या परिपत्रों के उन उपबंधों को उपदर्शित करते हुए, जिनकी बाबत अतिक्रमण करने का अभिकथन किया गया है, विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(3) उप-विनियम (1) के अधीन जारी सूचना के साथ ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां, जिनका अभ्यारोपण करने में अवलंब लिया गया है और दस्तावेजों के सुसंगत भाग के उद्धरण, ऐसी रिपोर्टें, जिनमें किए गए अन्वेषण या निरीक्षण, यदि कोई हो, में दिए गए निष्कर्ष अंतर्विष्ट हों, उपाबद्ध की जाएंगी ।

(4) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से, सूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर, जो उसकी तामील होने की तारीख से इक्कीस दिन से अधिक नहीं होगी, अभिहित प्राधिकारी को एक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी ।

33. **सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा उत्तर.**—(1) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, अभिहित प्राधिकारी को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन, उसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, के साथ प्रस्तुत करेगा :

परंतु अभिहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दर्शित पर्याप्त आधारों के आधार पर और ऐसे विस्तार के कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूचना में विनिर्दिष्ट समय को बढ़ा सकेगा ।

(2) यदि सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उस प्रयोजन के लिए प्रदत्त समय के भीतर हेतु दर्शित करने वाली सूचना का उत्तर नहीं देता है तो अभिहित प्राधिकारी मामले में, ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए एकपक्षीय कार्रवाई के लिए अग्रसर हो सकेगा और उसके समक्ष उपलब्ध सारवान तथ्यों के आधार पर ऐसा करने की सिफारिश कर सकेगा ।

34. **व्यतिक्रम की दशा में कार्रवाई.**—अभिहित प्राधिकारी, सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अभ्यावेदनों, यदि कोई हो, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अधिनियम, विनियमों, प्राधिकरण द्वारा दिए गए निदेशों या परिपत्रों पर विचार करने के पश्चात् एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जहां तथ्यों से यह प्रमाणित होता है वहां निम्नलिखित की सिफारिश करेगा—

- (क) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन;
- (ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्दकरण;
- (ग) आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कोई नया कार्य या संविदा प्राप्त करने या नवीन स्कीम प्रारंभ करने से विवर्जित करना;
- (घ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति के प्रधान अधिकारी को आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत मध्यवर्ती या अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के साथ नियोजित या सहयोजित होने से विवर्जित करना;
- (ङ) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति की किसी शाखा या किसी कार्यालय को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए कोई क्रियाकलाप करने से विवर्जित करना;
- (च) सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को चेतावनी देना ।

35. **सिफारिश पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया.**—(1) अभिहित प्राधिकारी से कार्रवाई करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित सदस्य उस पर विचार करेगा और सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक कारण दर्शित करने वाली सूचना, जिसके साथ अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न होगी, जिसमें सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से इस बारे में कि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत समुचित निदेश पारित करना भी है, क्यों नहीं की जानी चाहिए, लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई हो, जारी करेगा ।

(2) सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर अभिहित सदस्य को एक उत्तर भेजेगा जो उस उत्तर पर, यदि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्राप्त होता है, विचार करने और उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्रता से समुचित आदेश पारित कर सकेगा और उत्तर प्राप्त होने या सुनवाई करने के एक सौ बीस दिन के भीतर आदेश पारित करने का प्रयास करेगा।

3. अभिहित सदस्य, जहां प्रश्नगत विषय वस्तु सारवान रूप से समान या समरूप प्रकृति की है, वहां सूचना प्राप्त करने वाले अनेक व्यक्तियों के संबंध में एक समान आदेश पारित कर सकेगा ।

36. **आदेश की संसूचना.**—(1) इन विनियमों के अधीन किसी अभिहित प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रत्येक रिपोर्ट और अभिहित सदस्य द्वारा पारित प्रत्येक आदेश तारीख सहित हस्ताक्षरित होगा ।

(2) इन विनियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति प्रतिभूतियों का अभिरक्षक या संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी और उसे प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा ।

37. शास्ति और न्यायनिर्णयन.—उपस्थिति अस्तित्व या किसी संबंधित व्यक्ति पर शास्ति का अधिरोपण, यदि कोई हो, अधिनियम और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार किया जाएगा।

38. प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील.—उपस्थिति अस्तित्व या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति, यदि अभिहित सदस्य द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है तो अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (1) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “अभिहित प्राधिकारी” से विनियम 31 के उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ख) “अभिहित सदस्य” से प्राधिकरण का तत्प्रयोजनार्थ अभिहित अध्यक्ष या कोई पूर्णकालिक सदस्य अभिप्रेत है ;

अध्याय 6

विविध

39. प्राधिकरण का स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति—इन विनियमों के लागू होने या उनके अर्थान्वयन में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण को ऐसे टिप्पणों या परिपत्रों के प्ररूप में स्पष्टीकरण और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति होगी जो प्रतिभूतियों के अभिरक्षक पर बाध्यकर होंगे।

40. निदेश - इन विनियमों के अध्याय 5 के अधीन किसी आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, अभिदाताओं के हित में या प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक निदेश जारी करेगा:

परंतु कोई निदेश जारी करने के पूर्व प्राधिकरण, संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि यदि परिस्थितियों में तुरंत कोई अंतरिम निदेश पारित किया जाना अपेक्षित है तो प्राधिकरण, कोई असम्यक् विलंब किए बिना निदेश पारित करने के पश्चात् संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर सकेगा।

अनुसूची -1

प्रपत्र - क

[विनियम 2 (1) (ख)]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015

[विनियम 10 (4) देखिए]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण प्रतिभूतियों का अभिरक्षक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 27 की उपधारा (3) और उसके साथ पठित विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं (पेंशन योजना को इंगित करें) के लिए प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। अधिनियमों और विनियमों के अधीन उपबंधित निबंधनों और शर्तों का पालन करने के अधीन रहते हुए यह ----- तक विधिमान्य बना रहेगा

प्रतिभूतियों का अभिरक्षक का रजिस्ट्रीकरण कोड..... है

तारीख :

स्थान : नई दिल्ली

आदेश द्वारा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से

प्रपत्र - ख

[विनियम 2 (1) (ख)]

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015

[विनियम 13(2) देखिए]

कारबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अभिरक्षक के रूप में कारबार प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र

----- जिसे प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र -----पर ----- को एतद्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं (योजना का नाम) के लिए प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में कारबार शुरू करने के लिए..... तिथि20 को अनुज्ञा प्रदान करता है

तारीख :

स्थान : नई दिल्ली

आदेश द्वारा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की ओर से

अनुसूची - 2

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015

[विनियम 4(2), 10(3), 11(क), 14 (4), 15(1) (ग), 17 को देखिए]

विनियमों के अंतर्गत संदेय फीस

भाग क

फीस के रूप में संदेय राशि

| | | | | |
|----|-------------|--|--|---|
| 1- | आवेदन फीस | रूपये 5,00,000 | अप्रतिदेय | रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन जमा कराते समय |
| 2- | पंजीकरण फीस | रूपये 25,00,000 | अप्रतिदेय | नियुक्ति की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करते समय |
| 3- | वार्षिक फीस | अभिरक्षण के अधीन आस्तियों का 0.0005 प्रतिशत अथवा रूपये 10,00,000 जो भी अधिक हो | अभिरक्षण के अधीन आस्तियों पर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च पर विचार किया जाएगा | प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 15 अप्रैल से पहले अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के 15 दिन के भीतर |

भाग ख**इस भाग के प्रयोजनार्थ**

- I उपरोक्त निर्दिष्ट फीस पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण' के नाम नई दिल्ली में मांगदेय ड्राफ्ट अथवा बैंक चेक के रूप में संदेय होगी।
- II पद 'अभिरक्षण के अधीन आस्तियां' से अभिप्राय प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा धारित और उसके द्वारा भाग ख के उप भाग 6 में प्रकट की गई ऋण लिखतों के अंकित मूल्य और शेयर पत्रों के खरीद मूल्य के आधार पर आस्तियों का मूल्य है; वार्षिकी फीस के संदाय के साथ अभिरक्षण के अधीन आस्तियां का विवरण जो ऐसे प्ररूप में होगा जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाये और जिसके पूर्ण व सत्य होने का सत्पापन प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की अभिरक्षण सेवाओं के कार्यपालन के प्रमुख द्वारा किया गया हो।
- III यह प्रमाणित किया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के विस्तारण की स्थिति में रजिस्ट्रीकरण फीस अथवा आवेदन फीस का संदाय (उपरोक्त बिन्दु 2 में वर्णित) नहीं किया जाएगा। यदि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के विस्तारण को अनुमति प्राप्त होती है तो प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यथानुपात वार्षिक फीस का संदाय तिमाही आधार पर करेगा, विनियम 14 (4) का संदर्भ।
- IV विनियम 15 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले प्रतिभूतियों के अभिरक्षक द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय नहीं किया जाएगा।
- V प्रतिभूतियों का अभिरक्षक जिसे विनियम 15 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अनुदत्त किया गया है विनियम 15 के अंतर्गत संव्यवहार की अवधि के लिए यथानुपातिक वार्षिक फीस का संदाय करेगा।
- VI प्राधिकरण के पास समय-समय पर किसी भी और सभी फीसों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

अनुसूची 3**पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण****(प्रतिभूतियां का अभिरक्षक) विनियम 2015****[विनियम 8 (2)(ज) देखिए]**

'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' के विनिश्चय के लिए मापदंड (1) इस विनिश्चय के प्रयोजनार्थ कि क्या आवेदक 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' है, प्राधिकरण उससे अनुषांगिक निम्न परन्तु निम्न तक सीमित नहीं किसी भी पात्रता मानदंड पर विचार कर सकता है:-(i) वित्तीय सत्यनिष्ठा

(ii) दोषि सिद्धि का अभाव अथवा नागरिक उत्तरदायित्व

(iii) योग्यता

(iv) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र

(v) क्षमता और ईमानदारी और किसी आवेदक को इन विनियमों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त के लिए 'उपयुक्त और उचित व्यक्ति' के रूप में विचार नहीं किया जाएगा यदि निम्न अयोग्यताएं पाई जाती है अर्थात:-

- क. आवेदक या प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अथवा उसका पूर्ण कालिक निदेशक या प्रधान अधिकारी अथवा प्रबंध सहायक को न्यायालय द्वारा किसी अपराध जिसमें नैतिक अधमता, आर्थिक अपराध, किसी प्रतिभूति कानून के उल्लंघन अथवा कपट के लिए दोषी ठहराया हो।
- ख. आवेदक के खिलाफ समापन आदेश जारी किया गया हो
- ग. आवेदक या उसके पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध सहायक को दिवालिया घोषित किया गया हो और दोषमुक्त न किया गया हो।
- घ. किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा अथवा न्यायालय द्वारा आवेदक अथवा उसके पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रधान अधिकारी अथवा प्रबंध सहायक के खिलाफ मध्यवर्ती के रूप में नियुक्ति के रद्दकरण के अतिरिक्त पूंजी बाजार में प्रतिभूतियों के व्यापार के संबंध में निरोधक अथवा निषेधात्मक और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हो और आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से तीन वर्ष की अवधि अभी व्यतीत न हुई हो।
- ङ. प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी संबंधित वित्तीय विनियामक सेक्टर द्वारा अतरंग व्यापार में लिप्त होने, कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार अथवा बाजार हेरफेर के आधार पर नियुक्ति रद्दकरण का आदेश पारित किया गया हो और आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से तीन वर्ष की अवधि अभी व्यतीत न हुई हो।
- च. आवेदक अथवा उसके पूर्णकालिक निदेशक अथवा प्रबंध सहायक के खिलाफ पूंजी बाजार से संबंधित कोई लाईसेंस अथवा अनुदत्त अनुमति वापस लेना अथवा अनुमति देने से इंकार करने संबंधी वित्तीय सेक्टर विनियामक अथवा किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो और आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से तीन वर्ष की अवधि अभी व्यतीत न हुई हो।
- परन्तु यह कि प्राधिकरण लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से आवेदक को खंड (घ), (ङ) और (च) में उल्लेखित तीन वर्ष की अवधि से पूर्व नियुक्ति के आवेदन करने की अनुमति दे सकता है।
- छ. आवेदक वित्तीय रूप से सुदृढ़ न हो।
- ज आवेदक अथवा उसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उसके किसी निदेशक अथवा कर्मचारी अथवा संबंधित समूह के खिलाफ किसी सरकारी अथवा संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किसी कार्रवाई, अन्वेषण अथवा किसी अन्य प्रकार की कार्रवाई जो कुछ भी हो से संबंधित सूचना जारी की गई हो जो उसे प्राधिकरण द्वारा विनियमित आस्तियों के अभिरक्षक के रूप में कर्तव्यों के निर्वहन को प्रतिबंधित, निशेष अथवा किसी प्रकार की चुनौती अथवा अवरोध उत्पन्न करती हो और यह कि उसके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा प्रतिकूल कार्रवाइयां की गई हो तथा वह उसे प्राधिकरण द्वारा विनियमित आस्तियों के लिए अभिरक्षक के रूप में सेवाएं प्रदान करने की क्षमता को प्रतिकूलात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हो।

(i)

कोई अन्य कारण, जो प्राधिकरण द्वारा लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से उसकी राय में ऐसे प्रतिभूतियों के अभिरक्षक आवेदक अथवा उसके पूर्णकालिक निदेशक, प्रधान अधिकारी अथवा प्रबंध सहायक को पूंजी बाजार में परिचालन के लिए अयोग्य/अनुपयुक्त बनाती हो।

स्पष्टीकरण.—खंड (छ) के प्रयोजनार्थ, प्राधिकरण आवेदक की पूंजी पर्याप्तता अथवा शुद्ध मालियत पर विचार कर सकता है, जहां पर भी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए संबंधित आवेदन में उसे विनिर्दिष्ट किया गया है।

अनुसूची 4

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015

(विनियम 11अ, 18 देखिए)

आचार संहिता

1. अभिदाता संरक्षण

1.1 अभिदाताओं अथवा प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए सभी प्रयास करेगा प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को सभी सम्भव सेवाएं देगा अभिदाता की आवश्यकताओं और परिवेश तथा स्वयं के वृत्तिक कौशलों को ध्यान में रखते हुए यथा संभव सर्वोत्तम सलाह देगा।

1.2 सेवा का स्तरप्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि वह और उसके प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, कर्मचारी, अपने कार्य संचालन में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा, गरिमा, निष्पक्षता, सदाचार और व्यवसायिकता का पालन करेंगे और सभी व्यवसायिक व्यवहार शीघ्र, प्रभावी और दक्ष रीति में प्रभावी होंगे। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, अपने कार्य संचालन की बाबत अपने कर्मचारियों के कार्य या कार्यलोप के लिए उत्तरदायी होगा।

1.3 सम्यक् तत्परता बरतना और किसी प्रकार की दुरभिसंधि का न होना

प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, सभी समय पर उच्च स्तरीय सेवाएं देगा, उसके द्वारा नियोजित या नियुक्त व्यक्तियों पर सम्यक् निपुणता और तत्परता का प्रयोग करेगा, उनकी उचित देखभाल सुनिश्चित करेगा और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय करेगा और किसी भी समय पर ऐसी रीति में जो अभिदाता (ओं) के लिए हानिकारक हों, अन्य मध्यवर्तियों के साथ किसी प्रकार की सांठ-गांठ नहीं करेगा।

1.4 फीस - प्रतिभूतियों का अभिरक्षक जैसा प्राधिकरण निर्धारित करे प्रतिपादित की गई सेवाओं के लिए प्रभार और फीस वसूलेगा।

II धनराशियों का वितरण

2.1 धनराशियों का वितरण- पेंशन निधियों का प्रेषण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से प्रत्याहरण - प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, पेंशन निधियों के लिए निधि के प्रेषण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिदाताओं के अंशदानों के प्रत्याहरण के संदर्भ में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा जारी अनुदेशों को तत्परता के साथ निष्पादित करेगा।

III सूचना का प्रकटन

3.1 प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा पेंशन निधि को समझ में आने योग्य रीति में और समय से पर्याप्त प्रकटन सुनिश्चित करेगा ताकि वह एक संतुलित और ज्ञात निर्णय ले सके।

3.2 प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, मिथ्या प्रस्तुति नहीं करेगा और सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा पेंशन निधि को दी गई सूचना भ्रामक न हो।

3.3 प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा अभिदाताओं को, प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा पेंशन निधि अथवा अभिदाताओं को दी गई सेवाओं की बाबत अपनी अर्हता या कतिपय सेवाएं प्रदान करने की अपनी क्षमता के बारे में मौखिक या लिखित रूप से कोई अतिशयोक्तिपूर्ण कथन नहीं करेगा।

3.4 प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, किसी को भी मौखिक रूप से या लिखित रूप से, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अपने प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा अभिदाताओं के बारे में कोई ऐसी गोपनीय सूचना, जो उसकी जानकारी में आयी है, प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बगैर, वहां के सिवाय, जहां ऐसा प्रकटन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुपालन में किया जाना अपेक्षित हो, प्रकट नहीं करेगा।

4. हितों का टकराव—प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, हितों के विरोध से दूर रहेगा और अपने हितों का पर्याप्त प्रकटन करेगा तथा हित के किसी टकराव की स्थिति का, जो उसके कार्य संचालन में उद्भूत हों, का समाधान करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाएगा या यदि कोई हित का टकराव उद्भूत होता है तो उसके समाधान के लिए साम्यापूर्ण रीति में युक्तियुक्त उपाय करेगा। प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, मध्यवर्ती के रूप में कार्य करते समय कर्तव्यों और हितों के टकराव के ऐसे संभाव्य स्रोत या संभावित क्षेत्रों का समुचित प्रकटन करेगा जो उसके ऋजु, यथार्थ और निष्पक्ष सेवाएं देने की उसकी समर्थता को क्षति पहुंचाएंगे।

4.2 प्रतिभूतियों का अभिरक्षक अथवा उसका कोई निदेशक अथवा कर्मचारी जिसके पास कारबार में पूर्ण अथवा असरदार प्रबंधन हो अथवा प्रतिभूतियों के अभिरक्षक का कोई सहबद्ध न तो अपने खातों अथवा उनके संबंधित खातों अथवा उनके परिवारजनों, संबंधियों के माध्यम से अंतरंग व्यापार में शामिल नहीं होगा

5. अनुपालन और निगमित शासन

(क) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तम निगमित निधियां और निगमित शासन को स्थान दिया जाए। वह भारत में किसी शेयर बाजार में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों कपटपूर्ण और छलसाधन युक्त संव्यवहारों आ और अनुचित प्रतिस्पर्धाओं (जिनमें अन्य मध्यवर्तियों, प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए अनुचित ढंग को अपनाना शामिल है) में आलिप्त नहीं होगा जिससे सामान्यतः अन्य प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों अथवा अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े अथवा जिसके कारण अन्य मध्यवर्तियों किसी कार्यभार के क्रियान्वयन अथवा प्रतिस्पर्धा के समय किसी असुविधाजनक स्थिति में आ जायें।(ख) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कि आंकड़ों और लेखा अभिलेखन की निरंतरता को बनाए रखा जाए, पर्याप्त और आवश्यक उपाय करेगा और यह भी कि इसके लिए आंकड़े या अभिलेख लुप्त या नष्ट न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और आंकड़ों के लिए उसके पास सदैव अद्यतन बैकअप उपलब्ध हों। भौतिक या वास्तविक प्रतिभूतियों के संबंध में अभिलेखों को स्वत्व विलेख अभिप्राप्त करने के लिए बनाये रखा जाये।(ग) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन न्यास के साथ जब कभी अपेक्षित हो, सहयोग करेगा और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास दिए जाने वाले किन्हीं दस्तावेजों, रिपोर्टों, कागजपत्रों या सूचना में कोई असत्य कथन नहीं करेगा या किसी सारवान् तथ्य को नहीं छिपाएगा, प्राधिकरण या अन्य अभिकरण को, जो उसके साथ रजिस्ट्रीकृत हैं, ऐसी पुस्तकों, दस्तावेजों, पत्राचार और कागज पत्र या उसके किसी भाग को, जिनकी समय-समय पर मांग की जाए/अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करने की उपेक्षा नहीं करेगा या उसमें असफल नहीं रहेगा या प्रस्तुत करने से इंकार नहीं करेगा।

(घ) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति में परितर्वन या क गई कोई शास्तिक कार्रवाई, यावित्त में किसी ऐसे सारवान् परिवर्तनों के बारे में, जो अभिदाताओं के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं, प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का सूचित किये जाएंगे।(ड.) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक, ज्ञान और क्षमता के स्तर को बनाए रखेगा और केन्द्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयर बाजार, अथवा अन्य सक्षम संवैधानिक अथवा स्व विनियामक अथवा अन्य ईकाई जैसा भी मामला हो, द्वारा जारी अधिनियम, विनियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों परिपत्रों, काए जो ऐसे प्रतिभूतियों का अभिरक्षक द्वारा किए जाने वाले कारबार की बाबत प्रतिभूतियों का अभिरक्षक को लागू होते हैं ए पालन करेगा। प्र प्रतिभूतियों का अभिरक्षक पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम **2015**, के अंतर्गत लोकपाल द्वारा दिये गये निर्णय का अनुपालन करेगा।

(च) प्रतिभूतियों का अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उसके द्वारा किसी विधि, नियम, विनियम और प्राधिकरण के या किसी अन्य विनियामक निकाय के निदेशों के किसी सारवान् भंग या अननुपालन की बाबत उसके विरुद्ध आरंभ की गई किसी कार्रवाई, विधिक कार्यवाहियों आदि के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

प्रतिभूतियों का अभिरक्षक की संरचनात्मक अपेक्षाएं

6.1 प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं और वित्तीय एवं कार्यपालन अर्हताएं होंगी जिससे यथोचित रूप से यह आशा होगी कि वह अपने परिचालन, प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, अभिदाताओं और अन्य पंजीकृत संस्थाओं की चोरी, छल तथा अन्य कपटी गतिविधियों, व्यवसायिक कदाचारों अथवा लोपों से सुरक्षा करे। 6-2 यह

सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में और अन्य अनुज्ञाप्राप्त गतिविधियों के मध्य जनशक्ति और अवंसरचना के आधार पर दीर्घकालिक संबंध स्थापित रहा है प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण के पास किसी अन्य क्षमता अथवा वर्ग में पंजीकृत होना चाहिए।

6-3 प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपने आप को समर्थ बनाने के लिए प्रतिभूतियों का अभिरक्षक प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के समाधान के लिए पर्याप्त असंरचनात्मक सुविधाएं स्थापित करेगा और उसका अनुरक्षण करेगा और मध्यवर्तियों /प्रतिभूतियों के अभिरक्षक की प्रणालियां और कार्यपालन प्रक्रियाएं सुदस्तावेजी और परिचालन नियमावली से समर्थ होगा। 6-4 प्रतिभूतियों का अभिरक्षक उसके अभिरक्षा में सभी दस्तावेजों और डाटा का अभिलेख इस रीति में तैयार करेगा और बनाये रखेगा कि किसी कारणवश मूल अभिलेखों अथवा दस्तावेजों की हानि की स्थिति में डाटा अथवा दस्तावेज के अनुरेखन की सुविधा उपलब्ध हो। 6-5

(क) अभिरक्षक का कोई भी कर्मचारी जो उससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है सार्वजनिक अभिगम्य मीडिया में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रतिभूति के बारे में विनिधान संबंधी सलाह नहीं देगा, वास्तविक अथवा अवास्तविक समय पर, ऐसी सलाह प्रस्तुत करते समय;

(ख) प्रतिभूतियों के अभिरक्षक का कोई भी कर्मचारी ऐसा परामर्श प्रतिपादित करता है तो ऐसा परामर्श प्रतिपादित करते समय वह अपने आश्रित परिवार के सदस्यों के हितों और उस प्रतिभूति में अपने नियोक्ता के लघु और दीर्घ दर्जे का प्रकटीकरण करेगा।

हेमंत जी, कांटेक्टर, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./203/15 (53)]

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th May, 2015

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CUSTODIAN OF SECURITIES) REGULATIONS, 2015

No. PFRDA/12/RGL/10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e), (n), (o), (p) and (w) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations, namely: —

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Custodian of Securities) Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

The objective of the Regulations is to standardize the framework for monitoring, supervision and internal control for Custodian of Securities to enable them to establish high standards for internal control and operational conduct, with the aim of protecting the NPS assets and ensuring proper management of risk.

2. **Definitions.**— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013);

- (b) “account” means the custody accounts of the National Pension System Trust and that of any other pension scheme referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act and are maintained by the custodian;
- (c) “any other pension scheme” means a pension scheme referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act;
- (d) “assets” means the securities held under the National Pension System on behalf of the subscribers and that of any other pension scheme referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 12 of the Act;
- (e) "custodial services" means safekeeping of securities or assets held under the National Pension System or any other pension scheme and providing services incidental thereto and includes-
- (i) maintaining accounts of securities or assets held;
 - (ii) undertaking activities as a Domestic Depository in terms of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996) or as permitted by the Securities and Exchange Board of India;
 - (iii) collecting the benefits or rights accruing on the securities or assets;
 - (iv) informing about the actions taken or to be taken by the issuer of the securities, having a bearing on the benefits or rights accruing on the securities or assets held; and
 - (v) maintaining and reconciling records of the services referred to in sub-clauses (i) to (iv);
- (f) “Custodian of Securities” means an entity which has been granted a certificate of registration under sub-section (3) of section 27 of the Act by the Authority as a custodian of securities for the purpose of providing custodial and depository participant services for the pension schemes regulated by the Authority;
- (g) "Form" means any of the forms set out in the First Schedule;
- (h) “Schedule” means a schedule annexed to these regulations;
- (i) “securities” shall have the same meaning as assigned to it under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and includes such other instruments, permitted for investment by the Authority from time to time.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II

REGISTRATION OF CUSTODIAN

- 3. Certificate of Registration.-** (1) The Authority shall register and grant an entity a certificate of registration as a custodian of securities.
- (2) The Authority may, if deemed necessary in the interest of the subscribers’ select one or more custodian of securities.
- (3) No custodian of securities shall commence any activity relating to a National Pension System or any other pension scheme under the Act except under and in accordance with the conditions of a certificate of registration granted by the Authority in conformity with the provisions of the Act, rules and these regulations.
- (4) Any custodian of securities, which had been associated with a pension scheme and appointed to act as such by the Interim Pension Fund Regulatory and Development Authority prior to the establishment of the Authority under the Act may continue to so act for a period of ninety days from the date of notification of these regulations, if it has made an application for grant of certificate of registration within the said period of ninety days, till the disposal of such application in the manner specified in regulation 15:
- (5) Where any existing custodian fails to make an application for grant of certificate of registration within

the period specified in sub-regulation (3) or fails to comply with these regulations, shall cease to carry on an activity as custodian of securities and shall be subject to the directions of the Authority with regard to the transfer of records, documents or securities relating to its activities.

4. Application for grant of certificate of registrations and application fee.- (1) The Authority may, as and when deemed fit, invite applications, for the selection of one or more custodians of securities

(2) On and from the date of publication of notice of the selection process in a newspaper and on the website of the Authority, any entity which fulfils the eligibility conditions specified in regulation 8 and desirous to undertake the business of custodian of securities may make an application accompanied by non-refundable application fee as specified in Part A of the Second Schedule and to be paid in the manner specified in Part B thereof.

5. Application to conform to requirements.- (1) Any application for grant of certificate of registration is liable to be rejected, inter alia on the following grounds, namely:—

- (a) it is not complete in all respects and does not conform to the requirements specified in these regulations;
 - (b) it does not contain such additional information as required by the Authority;
 - (c) it is incorrect, false or misleading;
 - (d) the applicant is not in compliance with the minimum eligibility requirements as specified in these regulations;
 - (e) it, in the opinion of the Authority, is not in the interest of subscribers or the objective of orderly development of pension sector or both, or is not in the interest of the National Pension System or any other pension scheme.
- (2) Before rejecting an application on the grounds under sub-regulation (1), the applicant shall be given an opportunity to remove the objection, within time as may be specified by the Authority:

Provided that where an application is rejected for the reason that it contains false or misleading information, no such opportunity shall be given and the applicant shall not make any application for grant of certificate of registration under these regulations or any other regulations for a period of six years from the date of such rejection.

6. Furnishing of information and clarification.-(1)The Authority may require the applicant to furnish any further information or clarification, for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority

(2) The applicant shall furnish such information and clarification to the satisfaction of the Authority, within the time specified in this regard by the Authority.

7. Verification of information.- (1) While considering the application, the information furnished by the applicant and its eligibility, the Authority may, if it so desires, verify the information in any manner it deems necessary, which may include physical verification of documents, office space, and inspect the availability of office space, infrastructure, and technological support which the applicant is required to have.

(2) For the purpose of verification of information, the Authority may appoint any person including any of its officers or an external auditor.

8. Eligibility criteria.- (1) For the purpose of grant of a certificate of registration, an applicant satisfying the following minimum eligibility criteria may submit its application for grant of certificate of registration:-

- (a) the applicant must be registered with the Securities and Exchange Board of India as a custodian of securities for the past five years on the date of application;
- (b) direct or indirect cross holding by any pension fund or its sponsor, Trustee Bank or central record keeping agency in the custodian of securities should be less than fifty per cent.;

(c) the applicant's holding of assets under custody on the date of application must be at least equal to the total assets under management of the National Pension System as on 31st March of the preceding financial year.

(2) For the purpose of grant of a certificate of registration, the Authority shall take into account any or all matters which are relevant to the activities of a custodian of securities as also all matters which it deems relevant to the pension sector and National Pension System or any other pension scheme, including but not limited to the following particulars, whether-

(a) the applicant has the necessary infrastructure, including adequate office space, requisite information technology and information security systems with inbuilt flexibility and scaling up capability, required to effectively discharge its activities as custodian of securities;

(b) the applicant has the ability to segregate activities of the National Pension System or any other pension schemes from its other custodial clients and maintain firewall;

(c) the applicant has the requisite approvals under any applicable law in force in connection with providing custodial services in respect of permissible securities under National Pension System or any other pension scheme;

(d) the applicant has in its employment adequate and competent persons who have the experience, capacity and ability of managing the business of the custodian of securities;

(e) the applicant has prepared a complete manual, setting out the systems and procedures to be followed by it for the effective and efficient discharge of its functions and the arm's length relationships to be maintained with the other businesses, if any, of the applicant;

(f) the applicant or any of its associates have in the past been refused certificate of registration or renewal of registration certificate by any of the financial sector regulators in India including, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Insurance Regulatory and Development Authority and the Authority and if so, the ground for such refusal;

(g) the applicant have in the past five years been imposed with any penalty by any of the financial regulators referred to in clause(f) or by a court of law or tribunal, on the matters concerning violation of regulations, directions, guidelines and circulars of the regulator and if so, the ground for such refusal;

(h) the applicant is or, is not, a 'fit and proper entity', as stated in the Third Schedule;

(i) the grant of certificate of registration is in the interest of subscribers.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) and (2), the Authority shall not consider an application made under these regulations unless the applicant is a body corporate.

9. Exemptions in certain cases from eligibility criteria.—(1) Every applicant must mandatorily meet the minimum eligibility criteria specified in sub-regulation(1) of regulation 8.

(2) If any entity does not fulfil some of the other criteria specified in sub-regulation (2) of regulation 8 , it may, request the Authority by making an application seeking exemption from such criteria.

(3) Nothing contained in sub-regulation (2), confers the applicant any right to claim exemption.

(4) The Authority, if feels, that the non-fulfilment of the conditions under sub-regulation (2) of regulation 8, of which relaxation is sought would not prejudicially affect the interest of the subscriber, it may grant exemption from some of the criteria to such entity for reasons to be recorded in writing. The Authority may in such circumstances impose such additional conditions as it may deem fit for grant of certificate of registration.

10. Procedure for grant of certificate of registration and payment of registration fee.—(1) Any application received in response to the Authority's invitation under regulation 4, , shall be evaluated in accordance with these regulations and the selection process and evaluation under such selection process as may be specified at the time of inviting application.

(2) The best value proposal shall be given an opportunity to accept the asset service charges as determined under regulation 16.

(3) On receipt of an intimation from the Authority under sub-regulation (2) , the applicant shall pay to the Authority the non-refundable registration fee specified in Part A of the Second Schedule, in the manner specified in Part B thereof.

(4) Upon acceptance of the registration fee from the Applicant, the Authority may, subject to such terms and conditions as it may specify, grant a certificate of registration in Form A..

(5) No existing custodian of securities shall be entitled to claim any priority or privilege for grant of certificate of registration under the selection process.

11. Terms and conditions of registration.-The certificate of registration granted to the applicant or the custodian of securities shall be subject to the following conditions, namely:-

- (a) it shall pay the registration fees and annual fee as specified in Part A of the Second Schedule, which shall be paid in the manner specified in part B thereof;
- (b) it shall provide all custodial and depository services related to all securities, permitted to be held under pension schemes regulated by the Authority;
- (c) it fulfills and complies with the minimum eligibility conditions as specified by the Authority at all times;
- (d) all representations, warranties, information, disclosures, reports, documents and statements relating to or after registration as custodian are true, complete, accurate and correct in all respects and do not contain any untrue statement of any material fact or omit to state any material fact and shall inform the Authority of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on its registration;
- (e) it has taken all necessary actions and steps to accept the registration as custodian of the assets regulated by the Authority and binds itself for the due performance of its obligations and shall discharge its obligations under them;
- (f) it executes such agreements with the parties as directed by the Authority or as specified under these regulations and shall comply with the terms of the agreements executed;
- (g) it shall maintain confidentiality with respect to all transactions records, data and information received while discharging its obligations and shall not, without the prior permission of the Authority, produce or share such data or information as an evidence or for any other purpose except as required under the process of law;
- (h) it shall comply with the provisions of the Act, rules or the regulations made or, clarifications or directions issued by the Authority;
- (i) it shall submit statements to the Authority or the National Pension System Trust or to such other intermediaries at such intervals as may be specified by the Authority or the National Pension System Trust from time to time or as specified in the agreements;
- (j) it shall comply with the 'code of conduct' as specified in the Fourth Schedule, and it shall not assign or delegate or outsource any part of its functions as a custodian of securities to any other entity without the prior permission of the Authority.

12. Documentation with intermediaries- (1) Before commencement of business, the custodian shall execute the following agreements:-

- (a) tripartite agreement with the pension fund and the National Pension System Trust;
- (b) any other agreement which is required for the efficient and orderly conduct of activities as custodian of pension schemes regulated by the Authority, as may be specified by it from time to time.

(2) Besides the above mentioned agreements, the custodian of securities shall obtain necessary approvals from other sectorial regulators or any other authorities and it shall comply with the requirements of the intermediaries, depositories, clearing houses, exchanges with regards to opening of accounts, authorizing signatories, obtaining digital signatures, providing connectivity and software installation.

13. Commencement of business.- (1) Upon completion of documentation by the custodian of securities and other related formalities for undertaking its operations for which it has been granted registration, the custodian of securities shall seek issuance of "certificate for commencement of business" from the Authority.

(2) The Authority upon being satisfied that the custodian of securities is fully equipped to commence its operations may issue a "certificate for commencement of business for the National Pension System or other pension schemes" to the custodian of securities, in Form B set out in the First Schedule, after which the custodian of securities can undertake the operations and activities envisaged.

14. Period of validity.- (1) Every certificate of registration granted under these regulations shall be valid for a period of five years from the date of grant of certificate of registration.

(2) The Authority may, however extend the tenure of the Certificate of Registration, for such period as it may determine in the interest of the subscribers. Such extension shall be granted for reasons to be recorded in writing. Any extension granted to the Custodian of Securities upon expiry of tenure of registration shall be binding on the custodian of securities and the custodian of securities shall discharge its functions in accordance with the terms and conditions of the certificate of registration during the extension period as well.

(3) During the validity of certificate of registration under sub-regulations (1) and (2), the certificate of registration granted to the custodian of securities shall be reviewed annually or at any other period or point of time as notified by the Authority and its continuity as such custodian of securities shall be decided thereupon by the Authority.

(4) The custodian of securities shall be liable to Annual pay fee as specified in Part A and in the manner specified in Part B of the Second Schedule, on pro rata basis for the extended period.

15. Transitory provisions for registration of existing custodian of securities appointed by Interim PFRDA. -

(1) An existing custodian of securities, after notification of these regulations, shall make an application for continuation of its activities, within ninety days of such notification and the application shall be accompanied by-

- (a) the original certificate of registration or letter of appointment;
- (b) an undertaking supported by documentary evidence by the principal officer of the applicant certifying that all eligibility criteria as specified under these regulations have been satisfied;
- (c) fee as specified in the Second Schedule;
- (d) any other information as may be required by the Authority during the processing of the application for registration.

(2) The Authority may, consequent upon its satisfaction that the existing custodian of securities fulfills the conditions specified in these regulations and further that the grant of registration to such existing intermediary is in subscribers interest, register or re-register such intermediary for a period of one year only or till the selection of the custodian of securities is made in accordance with the selection process, whichever is earlier.

(3) Any existing custodian of securities specified under sub-regulation (1) shall not be entitled to claim any priority or privilege for grant of certificate of registration under the selection process which may be undertaken under these regulations.

16. Asset servicing charges.- (1) The asset servicing charges that can be levied by the custodian of securities on the asset held under the pension schemes regulated by the Authority shall be determined as per procedure laid down by the Authority.

(2) The assets servicing charges shall be calculated on the basis of daily closing balance of assets held by the custodian of securities under the pension schemes regulated by the Authority on face value of debt instruments and of purchase price of equity instruments.

17. Annual Fee

Every Custodian of Securities shall deposit with Authority an Annual Fee as detailed in Second Schedule before the 15th of April each year or within 15 days of the issuance or extension of Certificate of registration .

CHAPTER III

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF CUSTODIANS

18. Code of conduct.-Every custodian of securities shall abide by the Code of conduct as stated in the Fourth Schedule.

19. General obligations of custodian of securities.- (1) The custodian of securities shall exercise at all times reasonable care, prudence, professional skill and diligence while discharging its duties in the best interest of the subscribers.

(2) The custodian of securities shall facilitate adequate infrastructure information technology, systems and procedures that are required for enabling it to co-ordinate with other intermediaries and entities and adapt to future changes including changes on account of technology advancements, changes in system specifications and services and undertake functional obligations specified by the Authority.

(3) The custodian of securities shall take all necessary precautions to ensure that continuity of the record keeping is not lost or destroyed and that sufficient back up of records are available.

(4) The custodian of securities shall ensure at all times that transactions in the pension schemes accounts are put through according to the instructions of the pension fund or the National Pension System Trust and the securities held in such accounts are used only for transactions explicitly authorised by the pension fund or the National Pension System Trust.

(5) The custodian of securities shall ensure at all times that, the securities held on behalf of the National Pension System Trust are separate and clearly segregated in its books from its own holdings, other client accounts and separated from all other activities. The custodian of securities shall open a separate custody account for pension schemes regulated by the Authority and in accordance with the manner specified for registration of securities.

(6) The custodian of securities shall ensure that all the rights or entitlements on the securities held in its custody for pension schemes or the National Pension System Trust are received on time and in the manner specified by the Authority or the National Pension System Trust.

(7) The custodian of securities shall ensure that the individual holdings of securities in the pension scheme accounts are reconciled with the depository holdings and Constituents' Subsidiary General Ledger (CSGL) account at the end of the day.

(8) The custodian of securities shall be continuously accountable for the movement of securities in and out of the pension scheme accounts and shall provide complete audit trail whenever called for by the Authority or the National Pension System Trust.

(9) The custodian of securities shall create and maintain the records of securities held in its custody in such manner that the tracing of securities or obtaining duplicate of the documents is facilitated, in the event of loss of original records for any reason.

(10) The custodian of securities shall ensure that the securities handled by it under the National Pension System or any pension scheme regulated by the Authority are adequately insured.

(11) The custodian of securities shall have adequate systems for internal controls to prevent any manipulation of records and documents including audits for securities and rights or entitlements arising from the securities held under this agreement. The custodian of securities shall have appropriate safekeeping measures to ensure that such securities (assets or documents) are protected from theft or natural hazard.

(12) The custodian of securities shall not be entitled to setting off securities held in the pension scheme accounts regulated by the Authority or otherwise deal with them to extinguish partly or fully any amounts due to it from the pension fund or the National Pension System Trust without the prior consent in writing from the Authority or the National Pension System Trust.

(13) The custodian of securities shall not encumber the securities in any manner including by an act of pledging, hypothecating or creating any charge or lien on the said securities. The custodian of securities shall not convert the securities in any manner without the approval of the Authority or the National Pension System Trust.

(14) The custodian of securities shall transmit such reports and statements to the pension fund or the National Pension System Trust or the Authority or to such other intermediaries at such periodic intervals as may be

specified by the Authority from time to time or as specified in the agreements.

(15) The custodian of securities shall maintain proper books of accounts, registers, records, documents and have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the custodian's controls, systems, procedures and safeguards.

(16) The custodian of securities shall have its books of accounts audited quarterly by an internal auditor and submit an extract thereof relating to the assets or business of the pension funds to the Authority or the National Pension System Trust, as specified, within thirty days from the date of audit.

(17) The custodian of securities shall adhere to all applicable rules, regulations, circulars or guidelines framed, recommended, mandated by any regulator, authority, clearing corporation, exchange or depository for various functions or services offerings to the National Pension System Trust.

20. Monitoring, review and evaluating systems and controls.- (1) Every custodian of securities shall have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the custodian's controls, systems, procedures and safeguards.

(2) The custodian of securities shall cause to be audited annually or at any other periodicity as may be specified by the Authority through the mechanism referred to in sub-regulation (1), by an expert appointed in accordance with the Authority's guidelines and forward the audit report to the National Pension System Trust within thirty days from the date of audit.

(3) The National Pension System Trust shall be the nodal agency for monitoring, reviewing and evaluating of the operations of the custodian of securities..

21. Appointment of compliance officer.-(1) Every custodian of securities shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of provisions of the Act or the rules or the regulations made or notifications, guidelines, instructions, issued by the Authority or National Pension System Trust or the Central Government.

(2) The compliance officer shall immediately and independently report to the Authority and the National Pension System Trust of any non-compliance observed by him or her.

CHAPTER IV

INSPECTION AND AUDIT

22. Inspection and audit.- (1) The Authority may, if it considers necessary at any time, undertake directly or through its authorized representative, or an auditor, an inspection and audit of the books, accounts, records including the telephone records and electronic records and documents of the custodian of securities for any purpose, including the purposes as specified under this regulation.

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,-

(a) to ascertain the infrastructural capabilities, systems and procedures;

(b) to ensure that the books of account, records including telephone records and electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;

(c) to ensure that the affairs of the custodian of securities, in relation to the activities entrusted with, are conducted in a manner which is in the interest of the subscriber;

(d) to ascertain whether the provisions of the Act or rules or the regulations made thereunder or circulars, guidelines or notifications issued by the Authority are being complied with;

(e) to inquire into the complaints received from pension fund or any intermediary on any matter having a bearing on the activities entrusted to the custodian of securities by the Authority.;

(f) to inquire suo motu into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.

(3) The Authority may appoint one or more authorized representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (1).

Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, the expression “qualified auditor” shall have the meaning derived from section 226 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

23. Notice before inspection or audit.—(1) Before undertaking an inspection or audit under regulation 22s, the Authority or its authorised representative or the auditor shall give ten working days’ notice to the custodian of securities:

Provided that no notice shall be required if the Authority is satisfied that an inspection or audit is required for immediate safeguarding of the interest of the subscribers.

(2) During the course of an inspection or audit, the custodian of securities against which the inspection or audit is being carried out shall be bound to discharge its obligations as provided in these regulations.

24. Obligations on inspection and audit.— (1) It shall be the duty of the custodian of securities, the affairs of which is being inspected or audited, and of every director, officer and employee thereof, to produce to the Authority, or its authorized representative or auditor, such books, accounts, records and other documents in its custody or control and furnish to the Authority or its authorised representative or auditor with such statements and information relating to the activities entrusted to it by the Authority, as it or he may require, within such reasonable period as may be specified.

(2) The custodian of securities shall allow the Authority or its authorized representative or the auditor to have a reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in the possession of the custodian of securities or such other person and also provide copies of documents or other materials which in the opinion of the Authority or its authorized representative or auditor are relevant for the purpose of the inspection or audit.

(3) It shall be the duty of the custodian of securities to give to the Authority, or its authorized representative or audit or all assistance in connection with the inspection and audit which the Authority or its authorized representative, National Pension System Trust or its authorized representative or auditor may reasonably require.

25. Submission of report.—(1) On completion of the inspection or audit, a report shall be submitted to the Authority, which after consideration of the report, may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.

(2) The Authority may *suo motu* or after consideration of the inspection or audit report, as the case may be, order an investigation or inquiry to be conducted in the matter.

26. Payment of inspection and audit fees.—The Authority shall be entitled to recover from the custodian of such expenses incurred by it for the purposes of inspection or audit undertaken directly or through its authorized representative under sub-regulation (1) of regulation 22.

27. Inspection and audit by National Pension System Trust.— (1) The National Pension System Trust shall undertake directly or through its authorized representative, inspection or audit or both of the custodian of securities, on an annual basis or at such other period as may be specified by the Authority in relation to operational Service Level Agreements in accordance with the provisions of Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015. The custodian of securities shall allow the National Pension System Trust, or its authorized representative to have a reasonable access to the premises occupied by it, books of accounts, records, technology infrastructure, and provide necessary information as may be required by it for the purpose of such inspection or audit, as the case may be.

CHAPTER V

SUSPENSION OR CANCELLATION OF CERTIFICATE AND ACTION IN CASE OF DEFAULT

28. Cancellation or suspension of certificate of registration.— (1) The registration granted by the Authority to act as a custodian of securities is liable to be cancelled, suspended or withdrawn, if the—

- (a) existing custodian of securities fails to apply or obtain afresh the certificate of registration upon expiry of tenure;
- (b) fails to comply with any of the terms and conditions of certificate of registration or Contravenes any of the provisions of the Act or the rules or the regulations made or any guidelines or notifications, directions, instructions or circulars issued thereunder;
- (c) indulges in unfair trade practices or conducts its activities in a manner prejudicial to the interests of the subscribers;
- (d) fails to furnish any information, periodical returns as required under the Act or by the Authority;
- (e) ceases to carry on business or goes into liquidation (other than for the purposes of a reconstruction or amalgamation on terms previously approved in writing by the Authority) or a receiver, manager, or administrator or similar person is appointed with respect to the assets and undertakings of the custodian of securities;
- (f) in the opinion of the Authority, the custodian of securities has engaged in corrupt or fraudulent practices in obtaining the certificate of registration or has been blacklisted by any regulator or submits to the Authority a false statement or information which has a material effect on the rights, obligations or interests of the Authority or the subscribers;
- (g) any other reason which in the opinion of the Authority warrants for suspension or cancellation of the certificate of registration granted;

(2) The Authority may without prejudice to the powers under sub-regulation (1), instead of cancelling, suspending or withdrawing the certificate of registration, direct for varying or modifying the terms and conditions of the certificate of registration as it may deem fit, or pass any other order, as may be deemed beneficial in the interest of the subscribers, for reason to be recorded in writing.

(3) The custodian of securities once registered shall have to ensure that the eligibility conditions as mentioned in these regulations are strictly adhered to during the entire currency of the registration period and any extension thereto. Certificate evidencing compliance with the eligibility condition shall have to be furnished by the registered custodian of securities to the Authority on annual basis within thirty days of closure of accounts for the financial year.

29. Surrender of any certificate of registration.— (1) Any custodian of securities, which has been granted a certificate of registration under the Act or the regulations made thereunder, desirous of giving up its activity and surrendering the certificate, may make a request for such surrender to the Authority.

(2) While disposing of a request under these regulations, the Authority may require the concerned custodian of securities to satisfy the Authority of the factors as it deems fit, including but not limited to the following: –

- (a) the arrangements made by the custodian of securities at its own costs and expenses for maintenance and preservation of records and other documents required to be maintained under the Act, rules, regulations and guidelines;
- (b) redressal of subscriber grievances as per the provision of Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015;
- (c) transfer of records, regulated assets at its own cost and expense;
- (d) the arrangements made by it for ensuring continuity of service to the subscribers;
- (e) defaults or pending actions, if any.

(3) While accepting the surrender request, the Authority may impose such conditions upon the custodian of securities as it deems fit for the protection of interest of the subscribers of the National Pension System and the custodian concerned shall comply with such conditions.

30. Effect of suspension, cancellation or withdrawal of certificate of registration.— (1) Any custodian of securities which has not applied for or which has failed to obtain a certificate of registration afresh upon expiry of tenure or certificate of registration, or certificate of registration of which has been cancelled, withdrawn or suspended shall, on and from the date specified by the Authority cease to carry on any activity as custodian of securities.

(2) On and from the date of suspension, cancellation or withdrawal of the certificate of registration, the custodian of securities shall—

(a) take such actions in respect of the assets, records documents or information that are in the custody or control of the custodian of securities, within such time and in the manner, as may be required under the relevant regulations or as may be directed by the Authority, while passing the order under these regulations or otherwise;

(b) not represent itself as a custodian of securities for carrying out the activities for which the certificate of registration had been granted and return the certificate of registration to the Authority if so directed;

(c) transfer the assets, records, documents or information that are in its control to another custodian of securities, if so directed by the Authority, at its own cost;

(d) be subject to the direction of the Authority till all such transfers or actions are completed or till the time the certificate of registration remains suspended.

31. Appointment of designated authority.— (1) Where it appears to the designated member that any custodian of securities which has been granted certificate of registration under the Act, these regulations or any other concerned person has committed any default of the nature specified in regulation 28, he may appoint an officer not below the rank of a Chief General Manager, or any other officer of an equivalent rank, as a designated authority.

(2) No officer who has conducted investigation or inspection in respect of the alleged violation shall be appointed as a designated authority.

32. Issuance of notice.- (1) The designated authority shall, if it finds reasonable grounds to do so, issue a notice to the custodian of securities or any other concerned person requiring it to show cause as to why the certificate of registration granted to it, should not be suspended or cancelled or why any other action provided herein should not be taken.

(2) Every notice under sub-regulation (1) shall specify the contravention alleged to have been committed by the noticee indicating the provisions of the Act, rules, regulations, directions or circulars in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

(3) There shall be annexed to the notice issued under sub-regulation (1) copies of documents relied on in making of the imputations and extracts of relevant portions of documents, reports containing the findings arrived at in an investigation or inspection carried out, if any .

(4) The noticee shall be called upon to submit within a period to be specified in the notice, not exceeding twenty-one days from the date of service thereof, a written representation to the designated authority.

33. Reply by noticee.—(1) The noticee shall submit to the designated authority its written representation within the period specified in the notice along with documentary evidence, if any, in support thereof:

Provided that the designated authority may extend the time specified in the notice for sufficient grounds shown by the noticee and after recording reasons of extension in writing.

(2) If the noticee does not reply to the show-cause notice, within the time granted for the purpose, the designated authority may proceed with the matter exparte recording the reasons for doing so and make recommendation as the case may be on the basis of material facts available before him.

34. Action in case of default.-After considering the representations, if any, of the noticee, the facts and circumstances of the case and applicable provisions of the Act, regulations, directions or circulars administered by the Authority, the designated authority shall submit a report, where the facts so warrant, recommending,—

(a) suspension of certificate of registration for a specified period;

- (b) cancellation of certificate of registration;
- (c) prohibiting the noticee to take up any new assignment or contract or launch new scheme for the period specified in the order;
- (d) debarring a principal officer of the noticee from being employed or associated with any registered intermediary or other registered person for the period specified in the order;
- (e) debarring a branch or an office of the noticee from carrying out activities for the specified period;
- (f) warning the noticee.

35. Procedure for action on recommendation.—(1) On receipt of the report recommending measures from the designated authority, the designated member shall consider the same and issue a show-cause notice to the noticee enclosing a copy of the report submitted by the designated authority calling upon the noticee to submit its written representation as to why the action, including passing of appropriate direction, should not be taken.

(2) The noticee may, within twenty -one days of receipt of the notice send a reply to the designated member who may pass appropriate order after considering the reply, if any received from the noticee and providing the person with an opportunity of being heard, as expeditiously as possible and endeavor shall be made to pass the order within one hundred and twenty days from the date of receipt of reply of the notice or hearing.

(3) The designated member may pass a common order in respect of a number of noticees where the subject matter in question is substantially the same or similar in nature.

36. Intimation of order.— (1)Every report made by a designated authority and every order passed by the designated member under these regulations shall be dated and signed.

(2) A copy of the order passed under these regulations shall be sent to the custodian of securities or any person concerned and also placed on the website of the Authority.

37. Penalty and adjudication.-The imposition of penalty, if any, on the custodian of securities or any person concerned shall be in accordance with the provisions of the Act and the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Procedure for Inquiry by Adjudicating Officer) Regulations, 2015.

38. Appeal to Securities Appellate Tribunal.— The custodian of securities or any person concerned, aggrieved by an order under these regulations may, prefer an appeal to the Securities Appellate Tribunal against such order in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 36 of the Act.

Explanation.— For the purposes of this Chapter,—

“designated authority” means an officer of the Authority appointed under sub-regulation (1) of regulation 30;

“designated member” means the Chairperson or a whole-time member of the Authority designated for the purpose;

“noticee” means the person to whom a notice has been issued under this Chapter.

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

39. Power of Authority to issue clarifications.— In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority may issue clarifications and guidelines in the form of notes or circulars which shall be binding on the custodian of securities.

40. Directions.—Without prejudice to any order under the Act, the regulations and directions, guidelines, and circulars as may be issued by the Authority, including order under Chapter V, may, in the interest of the subscribers or for the purpose of securing the proper management of custodian of securities, issue, necessary direction:

Provided that before issuing any directions, the Authority shall give a reasonable opportunity of being heard to the persons concerned:

Provided further that if the circumstances warrant any interim direction is required to be passed immediately, the Authority may give a reasonable opportunity of hearing to the persons concerned after passing the direction, without any undue delay.

FIRST SCHEDULE**FORMS**

[See regulation 2 (1) (g)]

FORM A**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CUSTODIAN OF SECURITIES)****REGULATIONS, 2015**

[See regulation 10 (4)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS CUSTODIAN OF SECURITIES**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****CERTIFICATE OF REGISTRATION AS CUSTODIAN OF SECURITIES**

In exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 27 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), read with regulations made thereunder, the Authority hereby grants this certificate of registration to _____ as a custodian of securities for the pension Schemes (indicate name of Schemes) regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, until..... subject to the terms and conditions specified in the Act and regulations made thereunder.

The Registration Code for the Custodian is _____.

Date : _____

Place : _____

By order

For and on behalf of the Pension Fund Regulatory and Development Authority

FORM B**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CUSTODIAN OF SECURITIES) REGULATIONS, 2015**

[See regulation 13 (2)]

CERTIFICATE FOR COMMENCEMENT OF BUSINESS**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****CERTIFICATE FOR COMMENCEMENT OF BUSINESS AS CUSTODIAN OF SECURITIES**

_____ who has been granted a certificate of registration as custodian of securities vide _____ on _____ is hereby allowed to commence the activities as custodian of securities for the pension Schemes(Name of Scheme) regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority on this ____ day of ____ 20

Place : _____

By order

For and on behalf of Pension Fund Regulatory and Development Authority

SECOND SCHEDULE**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CUSTODIAN OF SECURITIES) REGULATIONS, 2015**

[See regulations 4(2), 10 (3), 11(a), 14 (4) 15 (1) (c) and 17]

FEES PAYABLE UNDER THE REGULATIONS**PART A****AMOUNT TO BE PAID AS FEES**

| | | | | |
|---|------------------|--|--|--|
| 1 | Application fee | Rs 5,00,000 | Non Refundable | At the time of submission of application for grant of Certificate of Registration |
| 2 | Registration fee | Rs 25,00,000 | Non Refundable | At the time of grant of registration certificate for the tenor of appointment |
| 3 | Annual fee | 0.0005% of Assets under custody or Rs 10,00,000, Whichever is higher | Assets under custody shall be considered as on 31st March of preceding financial year. | Payable by 15th of April of every financial year or within fifteen days of grant of certificate of registration. |

PART B

For the purpose of this Part,-

- I. The fees specified above shall be payable by demand draft or bankers cheque in favour of "The Pension Fund Regulatory and Development Authority" at New Delhi.
- II. The expression "assets under custody" shall mean the value of the assets calculated on face value of debt instruments and of purchase value of equity instruments held by the custodian of securities as disclosed by him under sub-paragraph VI of Part B below; The payment of annual fee shall be accompanied by a statement of assets under custody which shall be in such format as may be specified by the Authority and shall be certified to be true and complete by the functional head of the custody services of the custodian of securities.
- III. It is clarified that no registration fee or application fee (as shown against item 2 above) shall be payable in case of extension of the Certificate of registration A custodian of securities shall pay pro rata annual fee on quarterly basis, if the extension of certificate of registration is granted - Ref Regulation 14 (4)
- IV. No registration fee shall be payable by the custodian of securities who is granted certificate of registration under regulation 15.
- V. A custodian of securities which has been granted registration under regulations 15 shall pay proportionate annual fee for the period of transition under regulation 15
- VI. The Authority reserves the right to amend all or any of the fees from time to time.

THIRD SCHEDULE**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(CUSTODIAN OF SECURITIES) REGULATIONS, 2015**

[See regulation 8 (2) (h)]

Criteria for determining a 'fit and proper person'

(1) For the purpose of determining as to whether an applicant is a 'fit and proper person', the Authority may take into account of any consideration as it deems fit, including but not limited to the following criteria in relation to it or him:-

- (i) financial integrity;
- (ii) absence of convictions or civil liabilities;
- (iii) competence,
- (iv) good reputation and character;
- (v) efficiency and honesty; and

An applicant shall not be considered as a 'fit and proper person' for the purpose of grant of certificate of registration under these regulations, if it or he incurs any of the following disqualifications, namely:-

- (a) the applicant or custodian of securities or its whole time director or principal officer or managing partner has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude, economic offence, violation of any securities law or fraud;
- (b) an order for winding up has been passed against the applicant;
- (c) the applicant or its whole time director, or managing partner has been declared insolvent and has not been discharged;
- (d) an order, other than an order of suspension of appointment as an intermediary, restraining, prohibiting or debaring the applicant or its whole time director or principal officer or managing partner from dealing in securities in the capital market or from accessing the capital market has been passed by any regulatory authority or court. and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;
- (e) an order cancelling the appointment of the applicant has been passed by the Authority or other concerned financial sector regulator on the ground of its indulging in insider trading, fraudulent and unfair trade practices or market manipulation and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
- (f) an order withdrawing or refusing to grant any license or approval to the applicant or its whole time director or managing partner which has a bearing on the capital market, has been passed by concerned financial sector regulator or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the order has not elapsed:

Provided that the Authority may for reasons to be recorded in writing, allow the applicant to seek appointment before the lapse of three Years referred to in clauses (d), (e) and (f) above;

- (g) the applicant is financially not sound;
- (h) there is a notice of any action or investigation or other proceedings of any nature whatsoever, against the applicant, or its chief executive officer, any of its directors or employees, or a related group concern, by any governmental or statutory authority which would restrain, prohibit or otherwise challenge or impede the performance of obligations as custodian of the assets regulated by the Authority, and that there is adverse proceedings against it from any financial sector regulator including the Reserve Bank of India, Insurance Regulatory and Development Authority or the Securities and Exchange Board of India, of a nature that could adversely affect the ability to provide the services as custodian for the assets regulated by the Authority;
- (i) any other reason, to be recorded in writing by the Authority, which in its opinion renders such applicant custodian of securities or its whole time director, principal officer or managing partner unfit to operate in the capital market.

Explanation.-For the purpose of clause (g), the Authority may take into consideration the capital adequacy or net worth of the applicant, wherever it has been so specified in the relevant application for certificate of registration.

FOURTH SCHEDULE**PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(CUSTODIAN OF SECURITIES) REGULATIONS, 2015**

[See regulations 11 (j) and 18]

CODE OF CONDUCT**1. SUBSCRIBER PROTECTION****1.1 Subscribers or Authority or National Pension System Trusts-**

A custodian of securities shall make all efforts to protect the interests of subscribers and shall render the best possible service to the Authority or National Pension System Trusts having regard to the subscriber's needs and the environments and his own professional skills.

1.2 High standards of service.- A custodian of securities shall ensure that it and its key management personnel, employees, contractors and agents, shall in the conduct of their business, observe high standards of integrity, dignity, fairness, ethics and professionalism and all professional dealings shall be affected in a prompt, effective and efficient manner. A custodian of securities shall be responsible for the acts or omissions of its employees and agents in respect to the conduct of its business.

1.3 Exercise of due diligence and no collusion.-A custodian of securities shall at all times render high standards of service, exercise due skill and diligence over persons employed or appointed by it, ensure proper care and exercise independent professional judgment and shall not at any time act in collusion with other custodians of securities or other intermediaries in a manner that is detrimental to the subscribers.

1.4 Fees. -A custodian of securities shall levy charges or fees for the services rendered as determined by the Authority

II DISBURSAL OF AMOUNTS

2.1 Disbursal of Amounts.-A custodian of securities shall be prompt in disbursing dividends, interests or any such accrual income received or collected by it on behalf of the Authority or National Pension System Trusts or subscribers.

III DISCLOSURE OF INFORMATION

3.1 A custodian of securities shall ensure that adequate disclosures are made to the Authority, National Pension System Trust or pension fund in a comprehensible and timely manner so as to enable them to make a balanced and informed decision.

3.2 A custodian of securities shall not make any misrepresentation and ensure that the information provided to the Authority, National Pension System Trust or pension fund is not misleading.

3.3 A custodian of securities shall not make any exaggerated statement whether oral or written to the Authority, National Pension System Trust or subscribers, either about its qualification or capability to render certain services or its achievements in regard to services rendered to other Authority, National Pension System Trusts or subscribers.

3.4 A custodian of securities shall not divulge to anybody, either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential information about the Authority, National Pension System Trusts or subscribers, which has come to its knowledge, without taking prior permission of the Authority or National Pension System Trusts except where such disclosures are required to be made in compliance with any law for the time being in force.

IV. CONFLICT OF INTEREST

4.1 A custodian of securities shall avoid conflict of interest and make adequate disclosure of its interest and shall put in place a mechanism to resolve any conflict of interest situation that may arise in the conduct of its

business or where any conflict of interest arises, shall take reasonable steps to resolve the same in an equitable manner. A custodian of securities shall make appropriate disclosure to the Authority or National Pension System Trust of its possible source or potential areas of conflict of duties and interest while acting as a custodian of securities which would impair its ability to render fair, objective and unbiased services.

4.2 A custodian of securities or any of its directors, or employee having the management of the whole or substantially the whole of affairs of the business, or an associate of the custodian of securities shall not, either through its account or their respective accounts or through their family members, relatives or friends indulge in any insider trading.

V. COMPLIANCE AND CORPORATE GOVERNANCE

5.1 A custodian of securities shall ensure that good corporate policies and corporate governance is in place. It shall not engage in fraudulent and manipulative transactions in the securities listed on any stock exchange in India and shall not indulge in any unfair competition (including resorting to unfair means for inducing other intermediaries, Authority or National Pension System Trust) which is likely to harm the interests of other custodians of securities or subscribers or is likely to place such other intermediaries in a disadvantageous position while competing for or executing any assignment.

5.2 A custodian of securities shall take adequate and necessary steps to ensure that continuity in data and record keeping is maintained and that the data or records are not lost or destroyed. It shall also ensure that for electronic records and data, up-to-date back up is always available with it. In case of physical securities, the records to be maintained to facilitate obtaining duplicate title deeds.

5.3 A custodian of securities shall co-operate with the Authority, or any intermediary designated by the Authority, as and when required and shall not make any untrue statement or suppress any material fact in any documents, reports, papers or information furnished to the Authority or neglect or fail or refuse to submit to the Authority or other agencies with which it is registered, such books, documents, correspondence and papers or any part thereof as may be demanded or requested from time to time.

5.4 A custodian of securities shall ensure that any change in registration status, any penal action taken by any Authority or any material change in financials which may adversely affect the interests of the Authority or National Pension System Trust or subscribers is promptly informed to the Authority or National Pension System Trust

5.5 A custodian of securities shall maintain an appropriate level of knowledge and competency and abide by the provisions of any Act, regulations, circulars and guidelines of the Central Government, the Reserve Bank of India, the Securities and Exchange Board of India, the Authority, the stock exchange or any other applicable statutory or self regulatory or other body, as the case may be, and as may be applicable to the custodian of securities in respect of the business carried on by such custodian of securities. A custodian of securities shall also comply with the award of the Ombudsman passed under the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015.

5.6 A custodian of securities shall ensure that the Authority is promptly informed about any action or legal proceedings, initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body.

VI. CUSTODIAN OF SECURITIES INFRASTRUCTURE REQUIREMENTS

6.1 A custodian of securities shall have internal control procedures and financial and operational capabilities which can be reasonably expected to protect its operations, the Authority, National Pension System Trust, subscribers and other registered entities from financial loss arising from theft, fraud, and other dishonest acts, professional misconduct or omissions.

6.2 A custodian of securities also registered with the Authority in any other capacity or category shall endeavour to ensure that arms length relationship is maintained in terms of both manpower and infrastructure between the activities carried out as a custodian of securities and other permitted activities.

6.3 A custodian of securities shall establish and maintain adequate infrastructural facility to be able to

discharge its services as such custodian of securities to the satisfaction of the Authority or National Pension System Trusts, and the operating procedures and systems of the intermediaries/custodians of securities shall be well documented and backed by operations manuals.

6.4 A custodian of securities shall create and maintain the records of all documents and data in their in custody in such manner that the tracing of such document or data is facilitated in the event of loss of original records or documents for any reason.

6.5 (a) any of the employees of Custodian who are involved directly or indirectly shall not render, directly or indirectly any investment advice about any security in the publicly accessible media, whether real-time or non-real-time, , while rendering such advice;

(b) in case an employee of the custodian of securities is rendering such advice, he shall also disclose the interest of his dependent family members and employer including their long or short position in the said security, while rendering such advice.

HEMANT G. CONTRACTOR, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./203/15(53)]